मध्यप्रदेश में पानी का

निजीकरण

खण्डवा एवं शिवपुरी की पीपीपी जलप्रदाय योजनाओं के प्रभावों का अध्ययन

गौरव द्विवेदी / रेहमत

मंथन के अन्य प्रकाशन

प्रकाशक

- **मंथन अध्ययन केन्द्र**
  बड़वानी (मध्यप्रदेश) - 451551
  manthan.kendra@gmail.com
  www.manthan-india.org

- **जन पहल मध्यप्रदेश**
  भोपाल (मध्यप्रदेश)
  janpehel.mp@gmail.com

प्रथम संस्करण – नवंबर 2013
(जनवरी 2015 तक अद्यतित)

फोटो – मनोहर शामनानी, खण्डवा
नदीम रॉयल, खण्डवा
पत्रिका, खण्डवा ब्यूरो
मुकेश जाट, अंजड़

सहयोग – 30 रूपए मात्र

© सीमित वितरण हेतु प्रकाशित इस पुस्तिका की सामग्री पर कोई कॉपीराईट नहीं है। जनहित में इसका उपयोग किया जा सकता हैं। स्रोत का उल्लेख करने से प्रसन्नता होगी।

प्रस्तावना

1990 के दशक की शुरूआत से भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण के प्रयोग शुरू किए गए थे। बिजली के क्षेत्र में ये बदलाव शुरू से ही लागू हो गए थे लेकिन जल क्षेत्र में कुछ वर्षों बाद प्रारंभ हुए।

इन वर्षों में निजीकरण की प्रक्रियाओं में बड़ा बदलाव आया है। पहला प्रयास सीधे निजीकरण का था, जिसकी बोलीविया, अर्जेंटीना, ब्राजील, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका समेत दुनियाभर में कड़ी राजनैतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया हुई। इसी निजीकरण को अब जन–निजी भागीदारी (Public Private Partnership) के नए नाम से प्रस्तुत किया गया है। यह सीधे निजीकरण से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यह निजी कंपनियों को फायदा पहुँचाने और उन्हें सामाजिक जवाबदेही और जोखिमों से मुक्त करने की एक तिकड़म मात्र है। इस तिकड़म का खामियाजा निम्न मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों को शायद पीढ़ियों तक भुगतना पड़ेगा।

सीधे निजीकरण में निजी कंपनियाँ बुनियादी ढाँचा खड़ा करने के लिए कम से कम धन तो निवेश करती है। लेकिन, जन–निजी भागीदारी में तो वे जनता के धन से ही खुद मुनाफा कमाती है। खण्डवा और शिवपुरी की निजीकृत जलप्रदाय योजनाओं के लिए लगने वाला 90% धन इस देश की जनता का है लेकिन छोटा सा निवेश करने वाली कंपनियों को सारे मुनाफे का मालिक बना दिया गया है।

प्रदेश में नए जलप्रदाय ढाँचे के पुनर्वास की जरूरत के संबंध में योजना दस्तावेजों में कहा गया है कि नगरीय क्षेत्रों में पेयजल प्रदाय की पाईप लाईनें करीब 40-50 वर्ष से लेकर कहीं–कहीं 70-80 वर्ष तक पुरानी है। इन पुरानी पाईप लाईनों से जल रिसाव होता है। कई स्थानों पर ये लाईनें जल–मल निकास लाईनों

(sewerage) के साथ होने के कारण इससे पेयजल प्रदूषित होता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ खड़ी होती है। साथ ही जलप्रदाय संबंधी पुरानी मशीनरी की क्षमता (efficiency) में कमी आदि कारणों से अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में पूरे पेयजल तंत्र के पुनर्वास की जरूरत महसूस की जा रही है। खण्डवा और शिवपुरी की योजनाओं के बारे में भी यही कहा गया है।

'जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन' या JnNURM में प्रदेश के इंदौर, भोपाल, उज्जैन और जबलपुर शामिल हैं। इसी के अंतर्गत **'छोटे तथा मझौले नगरों की अधोसंरचना विकास योजना'** या UIDSSMT पर भी काम जारी है। UIDSSMT के प्रति मध्यप्रदेश ने अच्छा उत्साह दिखाया है। प्रदेश के 50 शहरों में 1230 करोड़ रूपए की 68 योजनाएँ जारी है जिनमें से 990 करोड़ रूपए की लागत वाली 47 योजनाएँ पानी संबंधित है। डबरा, देवास, मलाजखण्ड, रेहली, सनावद, दमोह, जावरा, रतलाम, आगर, कटनी और सिरोंज आदि को भले ही केन्द्रीय अनुदान की संपूर्ण राशि प्राप्त हो चुकी है लेकिन, क्रियांवयन के मामले में सारी योजनाएँ पीछे चल रही है। ब्यावरा, बुधनी, इटारसी, पिपरिया, मंदसौर, पन्ना, रीवा, शाजापुर, टीकमगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, सागर, छिंदवाड़ा, बीना, सीधी आदि को प्रगति में पिछड़ने के कारण अभी तक आधा अनुदान ही मिल पाया है। UIDSSMT में जलप्रदाय योजनाओं का पीपीपी के तहत क्रियांवयन किए जाने को शिवपुरी और खण्डवा के समुदाय ने स्वीकार नहीं किया है तथा वहाँ इसका विरोध जारी है।

UIDSSMT का पहला चरण (2005-2012) समाप्ति की ओर है। अत: जलप्रदाय व्यवस्था के निजीकरण को छोटे–बड़े हर नगरीय निकाय तक सुनिश्चित करने हेतु मध्यप्रदेश सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। UIDSSMT की शर्तों में तो पीपीपी को प्रोत्साहित करने का प्रावधान रहा है लेकिन, मध्यप्रदेश की **'मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना'** में तो पहले से ही तय है कि एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में पीपीपी के माध्यम से ही जलप्रदाय योजनाएँ संचालित की जाएगी। पानी के लिए हर परिवार को नल कनेक्शन लेना होगा तथा बिल भरना जरूरी होगा। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान सस्ते अनाज की बात करते हुए दावा करते है कि गरीब लोग मनरेगा की एक दिन की मजदूरी से पूरे महीने का अनाज खरीद सकते हैं लेकिन महत्त्वपूर्ण सवाल यह है कि पानी का बिल भरने के लिए

कितने दिनों तक मजदूरी करनी पड़ेगी? मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना पहले चरण में 37 नगरों में लागू की जा रही है जिनमें तरीचर कलां, टोंक खुर्द और नामली जैसे ग्रामीण क्षेत्र, भीकनगाँव, कुक्षी, बदनावर और बड़वानी जैसे छोटे निकाय और धार, शहडौल और नीमच जैसे मझौले नगर शामिल हैं।

वर्ष 2012 में मध्यप्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जलप्रदाय योजनाएँ संचालित करने हेतु **'मध्यप्रदेश जल निगम'** का गठन किया गया है। इसके तहत अभी कुछ समूह योजनाओं पर काम जारी है। योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घर में नल कनेक्शन देकर जलप्रदाय किया जाना है। जल निगम के उद्देश्यों में उद्योगपतियों, व्यवसायिकों, डिवेलपरों और वित्तीय संस्थाओं को जलप्रदाय योजना निर्माण हेतु आकर्षित किया जाना तथा नागरिकों से बिल वसूली का काम निजी कंपनियों को दिया जाना आदि शामिल है।

जुलाई 2013 में प्रदेश सरकार ने **म.प्र. जल विनियमन कानून** पारित किया है। इस कानून के तहत बनने वाला **जल विनियामक आयोग** प्रदेश में बाजार के सिद्धातों के अनुसार पानी का उपयोग निर्धारित करेगा। निमायक आयोग की कार्रवाई न्यायालयीन कार्रवाई की तरह होगी जिसके लिए बड़े वकीलों/सलाहकारों की सेवाएँ लेने की क्षमता पानी की लूट करने वाली कंपनियों और उद्योग समूहों के पास ही होगी। समुदाय के पास इस प्रकार के कौशल का अभाव बिजली क्षेत्र की तरह जलक्षेत्र को भी उनकी पहुँच से दूर कर देगा। संक्षेप में निजीकरण द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित जीने के अधिकारों के तहत नागरिकों के जल अधिकारों को नकार दिया जाएगा।

प्रदेश में क्रियांवित इसी प्रकार की योजनाओं पर नजर डालने से मोटे तौर पर समझ में आया कि ये योजनाएँ नगरीय निकायों की वित्तीय हैसियत से काफी बड़े बजट की है। 12,891 जनसंख्या वाले मूँदी को 4.80 करोड़ की, 16,215 जनसंख्या वाले भीकनगाँव को 7.29 करोड़ की, 28,345 जनसंख्या वाले कुक्षी को 18.46 करोड़ की जलप्रदाय योजना सौंप दी गई है जो इन नगरीय निकायों के सालाना बजट की अपेक्षा कई गुना अधिक है। बड़ा बजट होने के प्रमुख कारणों में जलप्रदाय के मानक बढ़ा–चढ़ा कर इस्तेमाल करना तथा स्थानीय जलस्रोतों की उपेक्षा कर दूर से पानी लाने को प्राथमिकता देना शामिल है। निकायों के स्तर पर योजना संबंधी

तकनीकी दस्तावेजों का अध्ययन कर उचित निर्णय लेने में सक्षम मानव संसाधनों की कमी भी सामने आई है। लेकिन, निजी सलाहकारी फर्मों की उपस्थिति से योजनाओं के बारे में सही निर्णय लेने की प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हुई है और गैरजरूरी योजनाओं को आगे बढ़ाने के हरसंभव प्रयास किए गए हैं।

प्रस्तुत पुस्तिका मध्यप्रदेश की पीपीपी के तहत निजीकृत की जा रही खण्डवा और शिवपुरी की जलप्रदाय योजनाओं पर आधारित है जिसके पहले खण्ड में खण्डवा की निजीकृत जलप्रदाय योजना तथा मार्च 2012 के बाद वहाँ घटित घटनाक्रम शामिल है। दूसरा खण्ड शिवपुरी की पीपीपी जलप्रदाय योजना पर आधारित है।

पानी के निजीकरण से प्रभावित समुदायों को सच्चाई से अवगत करवाने के प्रयास के रूप में यह पुस्तिका प्रस्तुत है। मंथन अध्ययन केन्द्र की एक पुस्तिका ने खण्डवा में पानी के निजीकरण के खिलाफ अभियान हेतु जनजागृति में अहम भूमिका अदा की है। उस पुस्तिका की माँग इतनी बढ़ गई थी कि हमारे लिए इसकी पूर्ति करना मुश्किल हो गया था। आशा है पानी का हक छीनने के दौर में यह पुस्तिका अन्य स्थानों के लिए भी समान रूप से उपयोगी साबित होंगी।

प्रस्तुत अध्ययन के दौरान हमें खण्डवा और शिवपुरी के संवेदनशील नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और नागरिक समूहों से काफी सहयोग मिला। उनके साथ हुई लम्बी चर्चाओं तथा उपलब्ध करवाई गई जानकारियों के कारण हमारे लिए इन नगरों और उनकी जलप्रदाय व्यवस्था को समझना संभव हो पाया। अध्ययन में सहयोग प्रदान करने वाले खण्डवा और शिवपुरी के सभी महानुभावों का आभार। इस पुस्तिका तथा इस मुद्दे पर आपके सवालों, सुझावों, टिप्पणियों और आलोचनाओं का स्वागत है।

– गौरव द्विवेदी/रेहमत

नवंबर 2013

खण्डवा की नर्मदा पेयजल योजना

खण्डवा नगर दक्षिण–पश्चिम मध्यप्रदेश में स्थित है। 1860 में निमाड़ का जिला मुख्यालय मण्डलेश्वर से यहाँ स्थानांतरित किया गया था। 17 मई 1867 से यहाँ कार्यरत नगरपालिका का 1 नवंबर 1991 को दर्जा बढ़ा कर नगरनिगम कर दिया गया। तत्कालीन निमाड़ जिले के डिप्टी कमिश्नर ने 1930 के दशक में सरकार को भेजी अपनी रपट में कुशल प्रबंधन के कारण खण्डवा नगरपालिका की प्रशंसा की थी। लेकिन, आज इसी निकायों ने अपने नागरिकों के जल अधिकारों को निजी कंपनी की मेहरबानी पर छोड़ दिया है।

खण्डवा के जलस्रोत

खण्डवा नगर के जल स्वावलंबी होने के प्रमाण मिलते हैं। जिले के गजेटियर में इसके प्रमुख जलस्रोतों के रूप में मोघट (नागचून) तालाब, बरूड़ नाला, रामेश्वर कुआँ, भैरों टेंक आदि का उल्लेख है। स्थानीय नागरिक भीम कुण्ड, सूरज कुण्ड, रामेश्वर कुण्ड और पदम कुण्ड की गिनती भी नगर के प्रमुख जलस्रोतों के रूप में करते थे। इसके अलावा नगर में अनेक ताल–तलैया एवं सैकड़ों कुएँ मौजूद थे।

1897 में 4 लाख रूपए की लागत से निर्मित **नागचून तालाब** नगर से 5 किमी दूर है। इसका पानी बगैर किसी विद्युत खर्च के गुरूत्वीय बल के सहारे 2.7 एमएलडी क्षमता वाले लाल चौकी फिल्टर प्लांट तक पहुँच जाता है जहाँ से नगर में प्रदाय किया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसके केचमेंट में कृषि तथा अन्य मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। करीब डेढ़ दशक पहले इसके केचमेंट को प्लांटेशन हेतु लीज पर देने का प्रयास किया गया था। तालाब की जमीन निजी कंपनी को सौंपे जाने के

खण्डवा में जलप्रदाय

स्रोत / मौसम	सुक्ता बाँध (mld)	नागचून (mld)	बोरवेल (mld)	योग (mld)
वर्षा	11.25	1.80	6.30	19.50
शीत	11.25	1.80	6.30	19.50
ग्रीष्म	9.00	0.00	3.60	12.60
औसत जलप्रदाय	**10.5**	**1.20**	**5.4**	**17.20**

स्रोत–विस्तृत योजना रपट, पृष्ठ–17. यहाँ नागचून से गर्मी के दिनों में शून्य जलप्रदाय दिखाया गया है जबकि गर्मी के दिनों में टैंकर यहीं स्थित हाईड्रेंट से भरे जाते हैं।

खिलाफ खण्डवा में अभियान चलाया गया था। मामला हाईकोर्ट तक भी गया था। अभियान का प्रमुख मुद्दा प्लांटेशन हेतु उपयोग किए जाने वाले रसायनों से पानी की गुणवत्ता पर पड़ने वाला विपरीत प्रभाव था। अब नागचून को औद्योगिक जलप्रदाय हेतु आरक्षित किये जाने के बहाने फिर से इसके केचमेंट की जमीन पर नजर है।

115 वर्षों बाद भी यह स्रोत नगर के जलप्रदाय में अहम योगदान दे रहा है। यदि इसके केचमेंट का उचित प्रबंधन तथा तालाब का गहरीकरण होता रहे तो इससे मिलने वाले पानी की मात्रा में वृद्धि हो सकती है।

वर्तमान में खण्डवा का मुख्य जलस्रोत **भगवंत सागर** जलाशय (सुक्ता बाँध) है। 78 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) जल भण्डारण क्षमता वाले इस जलाशय में 4.24 एमसीएम या 150 एमसीएफटी (मिलियन क्यूबिक फीट) पानी खण्डवा के घरेलू प्रदाय हेतु आरक्षित रखा गया है। इसका पानी भी सुक्ता नदी के प्राकृतिक रास्ते से गुरूत्वीय बल द्वारा 40 किमी दूर स्थित जसवाड़ी बैराज में लाया जाता है, जहाँ पर 13.6 एमएलडी क्षमता का फिल्टर प्लांट बना है। जसवाड़ी बैराज नगर से 11 किमी दूर स्थित है।

लेकिन नगर को आवश्यक जल का बड़ा हिस्सा **भूजल** से प्राप्त होता है। निगम के 198 मशीनीकृत बोरवेल से मिलने वाले 5.4 एमएलडी पानी को जलप्रदाय लाईनों से जोड़ कर ही वितरित किया जाता है।

उपरोक्त जलस्रोतों में से सुक्ता से जलप्रदाय वर्ष भर लगभग समान बना रहता है जबकि, गर्मी के मौसम में भूजल और नागचून से जलप्रदाय में कमी आती है। निगम द्वारा गर्मी में 63 लीटर/व्यक्ति/दिन जबकि साल के अन्य महीनों में 97.5 लीटर के हिसाब से जलप्रदाय किया जाता है।

जल आवर्धन का प्रयास

खण्डवा में नागचून के बाद पहला जल आवर्धन का प्रयास 1982 में भगवंत सागर जलाशय से पानी लाकर किया गया। कुएँ/तालाब आदि स्थानीय जलस्रोतों की उपेक्षा के कारण आज यह नगर का प्रमुख जलस्रोत बन गया है तथा नगर की 60% से अधिक जरूरत की पूर्ति इसी स्रोत से की जा रही है। स्थानीय जलस्रोतों की उपेक्षा का दौर जारी रहने से 2 दशकों बाद फिर पानी की कमी महसूस होने लगी है। वर्ष 2004–05 में इससे मिलने वाले पानी की मात्रा बढ़ाने पर विचार किया गया। इसके तहत भगवंत सागर जलाशय से जसवाड़ी फिल्टर प्लांट तक पाईप लाईन तथा जसवाड़ी फिल्टर प्लांट से नगर तक 28 इंच की एक अतिरिक्त पाईप लाईन बिछाने की योजना थी। इस योजना हेतु हुडको से 13 करोड़ रूपए के कर्ज की मंजूरी मिल गई थी। लेकिन राज्य शासन द्वारा हुडको को काउंटर गारण्टी उपलब्ध नहीं करवाने के कारण कर्ज नहीं मिल पाया और योजना ठण्डे बस्ते में चली गई।[1] इसके बाद जल आवर्धन के हर प्रयास ने लागत बढ़ाने का काम किया।

- नवंबर 2006 में 'अतिविश्वसनीय' स्रोत से प्रचूर मात्रा में पानी प्राप्त करने हेतु कालमुखी ग्राम के निकट इंदिरा सागर परियोजना की नहर से उद्वहन द्वारा नागचून तालाब में पानी जमा करने की योजना बनाई गई। नागचून तालाब को बेलेंसिंग रिजरवायर की तरह इस्तेमाल करते हुए जलप्रदाय करने वाली इस योजना की अनुमानित लागत 34.35 करोड़ रूपए थी। इसमें वर्ष 2022 की खण्डवा की जनसंख्या के हिसाब से पर्याप्त जलप्रदाय का दावा किया गया था।[2] वैसे नहरें तो गर्मी के दिनों में ही चलाई जाती है ताकि गैर मानसूनी मौसम में भी फसलें ली जा सकें। लेकिन, नहर की निर्माण एजेंसी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) ने आश्चर्यजनक रूप से जब यह बताया कि गर्मी में नहर में पानी प्रवाहित नहीं किया जाएगा तो अन्य विकल्प तलाशने का निर्णय लिया गया।[3]

- तत्कालीन निगम कमिश्नर श्री शिवनाथ झारिया और योजना के सलाहकार मेहता एण्ड एसोसिएट्स ने 17 अप्रैल 2007 को चारखेड़ा तथा सेल्दामाल के मध्य छोटी तवा नदी के किनारे स्थित इंदिरा सागर जलाशय क्षेत्र से जल उद्‌वहन को उपयुक्त पाया। इस स्थान पर समुद्र सतह से 239 मीटर के स्तर से पानी लिया जा सकता था। इस योजना की लागत 83.74 करोड़ रूपए आकलित की गई थी। जलस्रोत की नगर से दूरी 40 किमी थी।[4] इस योजना को खारिज कर दिया गया।

- ऊपर की योजना को खारिज करने का कारण यह दिया गया कि ग्राम रजूर से बाई ओर जलस्रोत तक पहुँच मार्ग में आरक्षित वन (लगभग 5 हेक्टर) था तथा अग्नि नदी से होकर जलस्रोत छोटी तवा नदी तक पहुँचने हेतु एक पुल की आवश्यकता थी। इस कारण पाईप लाईन का मार्ग परिवर्तन किया गया तथा चारखेड़ा से खण्डवा–छनेरा राजमार्ग होकर 52 किमी लम्बा रूट तय किया गया। इस मार्ग में भी 3.1 हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ तथा उतने ही संसाधन और उतना ही समय लगा जितना 5 हेक्टर की मंजूरी लेने में लगता। इस योजना योजना की लागत बढ़कर 96.31 करोड़ रूपए हो चुकी थी।[5]

इसी योजना को जब 17 सितंबर 2007 को मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ द्वारा 'छोटे तथा मझौले नगरों की अधोसंरचना विकास योजना' (UIDSSMT) के तहत स्वीकृत किया गया तब तक लागत और बढ़ कर 106.72 करोड़ रूपए हो चुकी थी।[6] हालांकि, बाद में योजना लागत को 160 करोड़ रूपए तक बढ़ाने का प्रयास किया गया लेकिन केन्द्र सरकार के इंकार के बाद यह संभव नहीं हो पाया।[7]

योजना की स्वीकृत लागत 106.72 करोड़ रूपए में से 103.61 करोड़ रूपए (97%) योजना की लागत तथा शेष 3.10 करोड़ (3%) योजना की तैयारी, कंसलटेंसी आदि आकस्मिक कार्यों के लिए है। योजना लागत 103.61 करोड़ रूपए में से 93.25 करोड़ रूपए (90%) केन्द्र तथा राज्य सरकारों से मिला अनुदान है। शेष 10.36 करोड़ रूपए (10%) की राशि नगरनिगम को अपने स्रोतों से जुटानी थी।

इसके बाद भी लागत बढ़ने का क्रम जारी रहा और 'विश्वा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड' (इसे आगे संक्षिप्त में निजी कंपनी कहा गया है) के साथ अनुबंध 115.32 करोड़ रूपए पर हुआ।

यूआईडीएसएसमएटी और उसके प्रभाव

नगरीय पेयजल तंत्र के पुनर्वास हेतु बड़े पैमाने पर पूँजी निवेश अधिकांश नगरनिकायों के बूते से बाहर है। इसलिए अब शासन (केन्द्र या राज्य) द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से धन की व्यवस्था की जा रही है। 2005 में नगरीय बुनियादी ढाँचों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 'जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन' (JnNURM) के नाम से एक बड़ी केन्द्रीय योजना बनाई गई। इसी योजना के तहत 'छोटे तथा मझौले नगरों की अधोसंरचना विकास योजना' (Urban Infrastructure Develop Scheme for Small and Medium Towns) जारी है। इसके तहत मिलने वाले अनुदान में केन्द्र और राज्य का हिस्सा क्रमशः 80% तथा 10% है। शेष 10% राशि संबंधित नगरनिकाय को जुटानी होती है। खण्डवा पेयजल आवर्धन योजना UIDSSMT के तहत स्वीकृत है।

नगर की वर्ष 2010 की प्रस्तावित जनसंख्या 2,15,373 के लिए नगरनिगम ने 135 एलपीसीडी के हिसाब से 29 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) पानी की जरूरत बताई गई थी, जबकि नगरनिगम 17.20 एमएलडी ही जलप्रदाय कर पा रहा था। इस प्रकार 11.80 एमएलडी की कमी की पूर्ति हेतु नगरनिगम ने नगर से 52 किमी दूर छोटी तवा नदी के किनारे स्थित इंदिरा सागर परियोजना के जलाशय से पानी लाने की योजना बनाई है।[8]

यूआईडीएसएसमएटी की ओर स्थानीय निकायों का रूझान तेजी से बढ़ा है। अगस्त 2010 तक 5 वर्षों में इस योजना के तहत देश में 19,936 करोड़ रूपए की लागत वाली 979 योजनाएँ स्वीकृत की गई थी जिनमें से 10,478 करोड़ रूपए की 524 योजनाएँ जलप्रदाय से संबंधित थी। यदि इन योजनाओं में पानी से संबंधित अन्य योजनाएँ जैसे मलनिकास, तुफानी जलनिकास, जलस्रोतों का संरक्षण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल कर लिया जाए तो कुल योजनाओं की संख्या 843 थी जिनकी कुल लागत 18,506 करोड़ रूपए थी। इस प्रकार यूआईडीएसएसमएटी में

93% राशि पानी से संबंधित योजनाओं पर खर्च की गई। जून 2012 तक मध्यप्रदेश के 50 नगरों में 1230 करोड़ रूपए की लागत वाली कुल 68 योजनाएँ स्वीकृत की गई। इनमें से 990 करोड़ रूपए की लागत वाली 47 योजनाएँ पानी से संबंधित है। मध्यप्रदेश की योजनाओं की जानकारी संलग्नक के रूप में दी गई है।

यूआईडीएसएसमएटी जल क्षेत्र सुधार का एक प्रमुख हिस्सा है। इस योजना का घोषित उद्देश्य स्थानीय निकायों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बना कर उन्हें पब्लिक–प्रायवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) को आकर्षित करने योग्य बनाना है। योजना की शर्त के मुताबिक यूआईडीएसएसमएटी योजना स्वीकार करने वाली राज्य सरकारों और नगरनिकायों को ''सुधार'' का एजेण्डा स्वीकार करना होता है। सुधार का सामान्य अर्थ है पूर्ण लागत वसूली, सामाजिक जवाबदेही से परे सबसे वसूली और अंतत: सेवाओं का निजीकरण। खण्डवा नगरनिगम ने 4 दिसंबर 2008 को तत्कालीन राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी ''मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ'' के साथ सुधार एजेण्डे पर हस्ताक्षर किए। योजना की शर्तों में उल्लेखित सुधार दो श्रेणियों के हैं (1) आवश्यक और (2) ऐच्छिक। ऐच्छिक सुधारों को स्थानीय निकाय अपनी सुविधानुसार थोड़ा आगे–पीछे लागू कर सकते हैं। लेकिन, योजना शुरू होने के बाद 7 वर्षों की अवधि में ही पीपीपी सहित सुधार संबंधी सारी शर्तें पूरी करने की बाध्यता है।

स्थानीय निकायों की दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें निजीकरण का आसान बहाना मिल गया है। हालांकि निजीकरण UIDSSMT के ऐच्छिक सुधारों की श्रेणी में शामिल है लेकिन, भारी भरकम सरकारी अनुदान प्राप्त करने तथा अपने हिस्से के पूँजी निवेश से बचने के लिए नगरनिकाय शुरू से ही पीपीपी के आसान विकल्प की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अगस्त 2010 तक UIDSSMT का दायरा देश के 640 नगरों तक बढ़ गया था जिनमें से 501 नगरनिकायों ने जन–निजी भागीदारी हेतु तैयारी दिखाई थी। इस प्रकार सार्वजनिक धन से निर्मित योजनाओं को पीपीपी के बहाने निजी कंपनियों को सौंपा जा रहा है ताकि ये कंपनियाँ अल्प निवेश से लम्बे समय तक तथा अत्यधिक मुनाफा कमा सकें।

चूँकि UIDSSMT के तहत माँग के अनुसार धन आसानी से उपलब्ध है इसलिए स्थानीय निकायों का रूझान अधिक लागत वाली योजनाओं तथा निजीकरण की तरफ है। जिसके कारण स्थानीय परिस्थितियों और संसाधनों के अनुरूप योजनाएँ

उदासीनता: *नगर की अधिकांश जनता निजीकरण के प्रभावों से अनजान रही जिससे पानी का निजीकरण आसान हुआ।*

बनाने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लागतें अनाप–शनाप बढ़ाई जा रही है। खण्डवा में भी यही सामने आया है। चूँकि इन योजनाओं में निजीकरण का विकल्प रखा गया है अत: इसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ेगा।

वित्तीय आंकलन

खण्डवा की पेयजल योजना को जन–निजी भागीदारी के तहत हैदराबाद की 'विश्वा इंफ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड सर्विसेस प्रा॰ लिमिटेड' नामक निजी कंपनी को सौंप दिया है। विश्वा कंपनी ने एक अन्य निजी कंपनी 'इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड' को 11% हिस्सेदारी देकर 'विश्वा यूटिलिटीज प्रायवेट लिमिटेड' (आगे से इसे संक्षेप में विश्वा कंपनी या कंपनी कहा गया है) नाम से स्पेशल परपज वेहीकल (Special Purpose Vehicle) बनाया है जो अगले 23 वर्षों तक खण्डवा में जलप्रदाय पर एकाधिकार रखेगा।

कंपनी ने योजना की लागत 115.32 करोड़ रूपए बताई है जिसमें से कंपनी को 93.25 करोड़ रूपए का अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। शेष 22.06 करोड़ रूपए कंपनी को खुद की ओर से जुटाने होंगें। कंपनी अपने हिस्से की 75% राशि कर्ज लेगी जिसका ब्याज एवं कंपनी का मुनाफा भी जल दरें बढ़ाकर ही वसूला जाना है। योजना हेतु विश्वा ने विश्व बैंक की संस्था अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से कर्ज लिया है। कर्ज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्वा यूटीलिटीज और नगरनिगम के बीच

खण्डवा नगरनिगम का जलप्रदाय पर खर्च

मद / वर्ष	2005-2006	2006-2007	2007-2008
स्थापना खर्च	75,25,372	8089023	9566194
वद्युत खर्च	14,47,784	42,42,039	35,23,502
जल शुद्धिकरण खर्च	6,83,224	7,45,259	4,53,018
मरम्मत खच	33,96,662	26,88,401	29,02,084
अन्य खर्च	1,32,12,647	1,17,76,984	1,53,83,605
कुल खर्च	**2,62,65,689**	**2,75,41,706**	**3,18,28,403**
कुल वसूली	**65,44,294** (24.92%)	**1,17,84,974** (42.79%)	**94,25,115** (29.61%)

***स्रोत**—खण्डवा नगरनिगम से प्राप्त जानकारी के आधार पर*

त्रिपक्षीय सब्स्टीट्यूशन एग्रीमेंट हुआ है जिसकी शर्त के अनुसार यदि विश्वा कंपनी कर्ज चुकाने में असमर्थ रहती है तो विश्व बैंक को यह अधिकार रहेगा कि वह विश्वा यूटिलिटीज के बजाय किसी अन्य निजी कंपनी को खण्डवा की जलप्रदाय व्यवस्था सौंप दें। यह जानकारी नागरिकों को नहीं दी गई।

कंपनी ने सालाना संचालन—संधारण खर्च 7.62 करोड़ रूपए बताया है और पानी की न्यूनतम दर 11.95 रूपए प्रति किलोलीटर निर्धारित की है। इसका अर्थ है कि कंपनी को अपना संचालन—संधारण खर्च निकालने हेतु कम से कम 17.47 एमएलडी जलप्रदाय करना होगा। यह लगभग उतनी ही पानी की मात्रा है जितनी वर्तमान में नगरनिगम द्वारा प्रदाय की जा रही है। यानी उतने ही जलप्रदाय के लिए अब कंपनी कई गुना अधिक पैसा वसूलेगी। यदि कंपनी खण्डवा की वर्ष 2011 की आंकलित जनसंख्या 2,18,744 को 135 lpcd (लीटर/व्यक्ति/दिन) के हिसाब से 29.53 mld (दस लाख लीटर/दिन) जलप्रदाय करती है तो वह नगर से 12 करोड़ 88 लाख रूपए सालाना वसूलेगी।[9] वर्ष 2011 में नगर की जनसंख्या 2,00,681 थी।

खण्डवा नगरनिगम का जल राजस्व वसूली का इतिहास निराशाजनक रहा है। नगरनिगम वित्तीय वर्ष 2007-08 में पानी पेटे मात्र 94 लाख 25 हजार रुपए ही वसूल पाया है जबकि इस अवधि में निगम ने जलप्रदाय व्यवस्था पर कुल 3 करोड़ 18 लाख रूपए खर्च किए थे।[10]

निजीकृत जलप्रदाय योजना का संचालन एवं संधारण खर्च

स॰क्र॰	विवरण	खर्च / वर्ष (रूपए)
a)	मानव संसाधन एवं प्रशासन	72,00,000
b)	उपभोग सामग्री	2,64,00,000
c)	कच्चा जल एवं विद्युत शुल्क	3,66,00,000
d)	बीमा	12,00,000
e)	विविध लागतें	48,00,000
कुल संचालन संधारण खर्च		**7,62,00,000**

***स्रोत**—*विश्व इन्फ्रा द्वारा प्राईस ऑफर-II के फार्मेट नं॰-15 B, के आधार पर*

ऐसे में सवाल उठता है कि **जो नगरनिगम जलप्रदाय की अपनी अल्प लागत ही नहीं वसूल पा रहा है तथा वर्ष 1997-98 से लेकर 2012-13 तक जलदरों में वृद्धि का साहस नहीं कर पाया वह कंपनी के लिए उन्हीं नागरिकों से सालाना पौने तेरह करोड़ रुपए से अधिक राशि कैसे वसूलेगा?** यदि कंपनी के मार्फत वसूली हो भी पाई तो स्थानीय नागरिकों की स्थिति क्या होगी? उल्लेखनीय है कि खण्डवा के 14,089 परिवार यानी कुल आबादी का 40% हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे होकर झुग्गी बस्तियों में निवास करता है।

अनुबंध के अनुसार कंपनी को 2 वर्षों में यानी सितंबर 2011 तक निर्माण पूर्ण कर जलप्रदाय शुरू करना था लेकिन कंपनी 4 वर्षों में भी निर्माण पूरा नहीं कर पाई है। मीडिया रिपोर्टें और स्थानीय समुदाय की प्रतिक्रियाएँ दर्शाती है कि कंपनी द्वारा किया जा रहा निर्माणकार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं है।

पहले नगरनिगम ने कंपनी के फायद के लिए नल कनेक्शनों पर मीटर लगाने का विचार त्याग दिया था। इसके बदले घरेलू और व्यावसायिक कनेक्शनधारियों से कंपनी द्वारा वसूले जाने वाले फ्लेट रेट क्रमश: 150 और 300 रुपए/माह प्रस्तावित किए थे। गरीबों से (लाईफलाईन कनेक्शन) 100 रुपए/माह वसूला जाना था। लेकिन 31 मई 2012 को कंपनी का एक और काम नगरनिगम ने खुद ही कर दिया। जल दरें 50 रूपए/माह से बढ़ा कर 150 रूपए/माह कर दी।

औद्योगिक कनेक्शनों हेतु 2400 रुपए/माह की दरें प्रस्तावित की थी लेकिन इससे वसूली दर पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक तो, खण्डवा में औद्योगिक कनेक्शनों की संख्या उपेक्षणीय है और दूसरे, औद्योगिक जलापूर्ति नागचून से करने की योजना है जो कंपनी का काम नहीं है। रेल्वे एक बड़ा व्यावसायिक उपभोक्ता है लेकिन उसकी अपनी खुद की जलप्रदाय योजना और शुद्धिकरण तंत्र है।[11]

निगम द्वारा पहले प्रस्तावित दरों से शतप्रतिशत वसूली होने के बावजूद निगम को सालाना 2 करोड़ 97 लाख रुपयों की ही आय संभावित थी।[12] यदि मान लिया जाए कि खण्डवा नगरनिगम की सीमा में स्थित सारी संपत्तियों (चाहे उनके स्वामी अनुमति दे चाहे न दे) और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को नल कनेक्शन[13] दे दिए जाते और उनसे शतप्रतिशत वसूली हो पाती तो भी 6 करोड़ 80 लाख रुपए सालाना से अधिक वूसली नहीं हो पाती और इतनी राशि से कंपनी के पानी के बिल की पूर्ति नहीं हो पाती। कंपनी के वास्तविक बिल और वसूली में भारी अंतर होता और अनुबंध की शर्तों के तहत करोड़ों रूपए की अंतर राशि अनुदान के रूप में नगरनिगम द्वारा कंपनी को चुकानी पड़ती। यही स्थिति भविष्य में भी उत्पन्न होने वाली है। लेकिन सवाल उठता है कि **वर्ष 2009-10 में मात्र 14 करोड़ रूपए के सालाना बजट वाले नगरनिगम के पास कंपनी को चुकाने के लिए करोड़ों रूपया हर साल आएगा कहाँ से?**

पिछले दिनों नगरनिगम ने एक बार फिर 200 रूपए/माह की फ्लेट दरें घोषित की है। वास्तव में इस घोषणा का अर्थ सिर्फ नागरिकों के भ्रमित कर कंपनी और पानी के निजीकरण की वकालत करना मात्र है क्योंकि **एक तो**, इन दरों से भी कंपनी की माँग पूरी नहीं होगी तथा **दूसरे,** कंपनी द्वारा जलप्रदाय शुरू करते ही दरें तय करने का काम नगरनिगम के क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाएगा।

भगवंत सागर से 42 पैसे प्रति किलोलीटर में मिलने वाले पानी की रायल्टी भी निगम चुका नहीं पा रहा है। वर्ष 2002-03 तक की बकाया राशि का शासन स्तर पर समायोजन किया गया। इसके बाद भी निगम पानी की रॉयल्टी नहीं चुका पाया। वर्ष 2010-11 में पानी की रॉयल्टी पेटे निगम पर जल संसाधन विभाग के 1 करोड़ 7 लाख रूपए बकाया थे।[14]

पानी के बदले निजी कंपनी को किया जाने वाला भुगतान

वर्ष	जनसंख्या	माँग @ 135 lpcd (एमएलडी)	प्रस्तावित दरें प्रति/किली (रूपए)	कंपनी को भुगतान (लाख रूपए)
2011	218744	29.53	11.95	1288.04
2012	222172	29.99	11.95	1308.22
2013	225659	30.46	13.15	1461.63
2014	229206	30.94	13.15	1485.17
2015	232815	31.43	14.47	1508.56
2016	236485	31.93	14.47	1686.15

Note

1. विश्व इन्फ्रा ने प्राईस ऑफर-II में एक संक्षिप्त नोट में कहा है कि वह 30 एमएलडी जलप्रदाय 4 वर्ष बाद तब शुरू करेगी जब हर परिवार को कनेक्शन दे दिए जाएँगें तथा वितरण लाईनों तथा तंत्र पुनर्वास का काम भी पूरा हो जाएगा।
2. कंपनी ने प्राईस ऑफर-II में सालाना संचालन–संधारण खर्च 7 करोड़ 62 लाख रूपए तथा सालाना जल राजस्व 7 करोड़ 70 लाख रूपए का आंकलन किया है। 11.95 रूपए/किली के हिसाब से 7 करोड़ 62 लाख रूपए में साल भर मात्र 17.47 एमएलडी पानी ही प्रदाय किया जा सकता है। पानी की यह मात्रा उतनी ही है जितनी वर्तमान में नगरनिगम द्वारा प्रदाय की जा रही है।
3. हर तीसरे साल की जाने वाली 10% की वृद्धि के आधार पर दरें दर्शाई गई है।

***स्रोत**–विस्तृत योजना रपट तथा विश्वा इन्फ्रा द्वारा प्रस्तुत वित्तीय निविदा प्रपत्र*

निजी कंपनी को योजना सौंपने का प्रमुख कारण ही यह रहा है कि जलप्रदाय व्यवस्था पर खर्च की जाने वाली राशि को निगम वसूल नहीं पा रहा है और दूसरे मदों का पैसा इसके घाटे की पूर्ति में खर्च हो जाता है जिससे नगर का विकास प्रभावित होता है। लेकिन निजी कंपनी को जलप्रदाय सौंपने के बाद तो निगम को जलप्रदाय के मद में पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी। चूँकि निगम के पास इस मद में राशि नहीं होगी इसलिए उसे अन्य मदों की और अधिक राशि कंपनी को भुगतान करनी पड़ेगी और नगर का विकास पहले से अधिक प्रभावित होगा। निजी कंपनी द्वारा जलप्रदाय की कीमत नागरिकों को कई तरीकों यथा सड़क, शिक्षा, स्वच्छता, स्ट्रीट लाईट आदि की परेशानी उठाकर दशकों तक चुकाना होगा।

निजीकरण के प्रभाव

सामाजिक और आर्थिक विषमताओं से भरे समाज में जलप्रदाय योजनाओं के निजी हाथों में चले जाने के बहुआयामी एवं दूरगामी परिणाम होंगें। जलप्रदाय व्यवस्था का संचालन कल्याणकारी कर्तव्य के बजाय बाजार के नियमों से होगा और समाज के सबसे कमजोर तबके के प्रति जवाबदेही को सिरे नकार दिया जाएगा है। सार्वजनिक नलों को बंद कर दिया जाएगा और नगर में ऐसी कोई गतिविधि संचालित नहीं होने दी जाएगी जिससे लोग कंपनी के अलावा अन्य स्रोतों से पानी प्राप्त कर सकें।[15] अनुबंध के पूर्व से चालू हेण्डपम्पों को बंद करने का भी कंपनी को अधिकार होगा।

प्रतियोगी सुविधा का विरोध

कंपनी से किए गए अनुबंध की 11 वी कण्डिका के रूप में No Parallel Competing Facility यानी 'कोई समानांतर प्रतियोगी सुविधा नहीं' नाम की एक कण्डिका का उल्लेख किया गया है।[15] इस कण्डिका को बड़ी चतुराई से अस्पष्ट रूप से लिखा गया है। अनुबंध दस्तावेज में न तो इस वाक्यांश की परिभाषा दी गई है और न ही इसमें उपयोग किए गए शब्दों की व्याख्या की गई है। इसके विपरीत अन्य सभी धाराओं की विस्तृत व्याख्या की गई है। इस धारा के माध्यम से खण्डवा के नागरिकों को पानी के अधिकार से वंचित किया जाएगा।

'कोई समानांतर प्रतियोगी सुविधा नहीं' धारा के तहत नगरनिगम की सीमा में कंपनी के काम (पेयजल प्रदाय) के समानांतर प्रतियोगी गतिविधि संचालित हो पाएगी। यदि कोई व्यक्ति या समूह नगर में जलप्रदाय करता है तो इससे कंपनी के हित प्रभावित होंगें। इसका अर्थ है कि न तो नागरिक और न ही नगरनिगम अगले 23 वर्षों के लिए पानी प्राप्त करने की कोई युक्ति निर्मित/संचालित कर पाएँगें।

नागरिकों द्वारा अपने घरों में लगे ट्यूबवेलों की न तो क्षमता बढ़ाई जा सकेंगी और न ही नए ट्यूबवेल खोदे जा सकेंगें। जिन हेण्डपम्पों में गर्मी के दिनों में जलस्तर नीचे चला जायेगा वहाँ अतिरिक्त पाईप (आवर्धन) भी नहीं लगाए जा सकेंगें। केवल इतना ही नहीं पड़ोसी को पानी देना भी महँगा पड़ने वाला है।

24x7 जलप्रदाय की पोल खुली

योजना की शुरूआत में 24x7 जलप्रदाय का सब्जबाग दिखाया गया था लेकिन

प्रगति: *2 वर्ष का निर्माण कार्य जो कंपनी 4 वर्षों में भी पूरा नहीं कर पाई वही अब 23 सालों तक शहर का जलप्रदाय संभालेगी।*

टेण्डर भरने वाली 4 में से 3 कंपनियों अशोका बिल्डकॉन, यूनिटी इंफ्रा और जसको ने इस विचार को अव्यावहारिक बताया था। इसलिए, पहले दिन में 6 घण्टे का आश्वासन दिया गया लेकिन बाद में इसे बदलकर सुबह–शाम 2–2 घण्टे कर दिया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि खण्डवा के नागरिकों ने स्वयं ही 24x7 जलप्रदाय को नकार कर प्रतिदिन 1 या 2 घण्टे जलप्रदाय की माँग की है। पानी के निजीकरण संबंधी नागरिकों की शिकायतों के निराकरण हेतु राज्य शासन द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के समक्ष नगरनिगम 24x7 जलप्रदाय का दावा नहीं कर पाई है।[16]

आपातकालीन परिस्थिति

अनुबंध के No Parallel Competing Facility संबंधी प्रावधान के कारण जलप्रदाय तंत्र और नगर के सारे सार्वजनिक जलस्रोत कंपनी को सौंपने पड़ेंगे। नगर के सारे सार्वजनिक नल बंद करने पड़ेंगें। वर्तमान जलस्रोतों की क्षमता वृद्धि और नए स्रोत निर्माण पर पाबंदी होगी। साथ ही टेंकर से जलप्रदाय भी संभव नहीं होगा। संक्षेप में अनुबंध की इस शर्त का प्रभाव यह होगा कि आगामी कुछ वर्षों में सारे वैकल्पिक जलस्रोत बंद कर दिए जायेंगें जिससे वर्तमान में कार्यरत पूरा जलप्रदाय तंत्र या तो कंपनी के नियंत्रण में चला जाएगा या चालू हालत में नहीं रहेगा। सबसे दु:खद सार्वजनिक क्षेत्र में जलप्रदाय कौशल की समाप्ति होगा। इस काम को जानने वाली

पीढ़ी सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं रहेगी। आपातकालीन परिस्थिति में साधन तो जुटाए जा सकते हैं लेकिन जलप्रदाय तंत्र के सुचारू संचालन के लिए अपेक्षित कौशल और ज्ञान रखने वाले मानव संसाधन की तात्कालिक व्यवस्था नहीं की जा सकती है।

इसके बावजूद नल कनेक्शन के अनुबंध में यह लिखवा लिया जाएगा कि कंपनी द्वारा जलप्रदाय नहीं कर पाने की स्थिति में नागरिक अपने पानी की व्यवस्था स्वयं कर लेंगे। सावर्जनिक जलप्रदाय तंत्र खत्म होने के बाद यदि किन्हीं तकनीकी या प्राकृतिक कारणों से कंपनी का जलप्रदाय बाधित हुआ तो नागरिक पानी लाएँगें कहाँ से और कैसे?

कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय

खण्डवा में 1733 सार्वजनिक नल कनेक्शनों सहित 17,676 नल कनेक्शन है। प्रति हजार कनेक्शन पर 10 के हिसाब से करीब 175 कर्मचारी है। पेयजल व्यवस्था के निजी हाथों में जाने के कारण इन कर्मचारियों की जबरन छँटनी करनी होगी।

UIDSSMT हेतु आवेदन करने के पूर्व स्थानीय निकायों को रिफार्म एजेंण्डा स्वीकार करना होता है। 4 दिसंबर 2007 को तत्कालीन राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी ***मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ'*** के साथ किए गए अनुबंध (मेमोरण्डम ऑफ एग्रीमेंट) में प्रशासनिक सुधार के नाम पर जलप्रदाय से जुड़े कर्मचारियों को स्वैच्छिक (अनिवार्य) सेवानिवृत्ति देने और सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए पदों को नहीं भरने का निर्णय खण्डवा नगरनिगम ने ले लिया है।

इसके अलावा नगरनिगम प्रस्ताव दिनांक 31 मार्च 2008 में भी घोषणा की गई है कि जलप्रदाय से संबंधित अमला नर्मदा योजना के संचालन हेतु प्रशिक्षित नहीं है। अत: इस बात की कोई संभावना नहीं है कि कंपनी इन 'अप्रशिक्षित' कर्मचारियों को नौकरी दें। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों की छँटनी नगरनिगम की बाध्यता है।

अनुबंध की कण्डिका 7.5 में निर्माण मजदूरों और कर्मचारियों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के बारे में 10 उप कण्डिकाओं में विस्तार से उल्लेख किया गया है। लेकिन, नगरनिगम के जलप्रदाय विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की रोजगार सुरक्षा के बारे में कहीं कुछ नहीं कहा गया है। जबकि, निगम चाहता तो निजी कंपनी में इन कर्मचारियों की नौकरी का प्रावधान किया जा सकता था।

भविष्य का संकेत: *कंपनी के गुणवत्ताविहीन काम से ऐसे नजारे आम हो गए हैं।*

अनुभव बताते हैं कि निजी कंपनियाँ स्थानीय खासकर संगठित कर्मचारियों को पसंद नहीं करती है। नागपुर (महाराष्ट्र) के धरमपेठ झोन में जलप्रदाय का ठेका पीपीपी के तहत फ्रांस की 'विओलिया' द्वारा नियंत्रित कंपनी को दिया गया है। वहाँ कंपनी द्वारा बिछाई गई भूमिगत पाईप लाईनों तथा मीटर लगाने जैसे कार्यों में स्थानीय कर्मचारियों और संगठित कामगारों की कोई भूमिका नहीं रही। पंजीकृत यूनियन के तहत नगरनिगम के कार्यों से जुड़े रहे स्थानीय कुशल/अकुशल मजदूरों तथा प्लंबरों तक को कंपनी ने कोई काम नहीं दिया।

कंपनी का हित संरक्षण

अनुबंध में नागरिकों के हितों की तो अनदेखी की गई है लेकिन, कंपनी के हितों का बखूबी ध्यान रखा गया है। निगम द्वारा निजीकरण के पक्ष में चौबीसों घण्टे जलप्रदाय, पूरी तरह भरोसेमंद तंत्र, भरपूर पानी उपलब्धता वाली सस्ती जलप्रदाय व्यवस्था का दावा किया गया था लेकिन कंपनी को फायदा पहुँचाने हेतु 24x7 जलप्रदाय की शर्त को पिछले दरवाजे से बदल दिया गया है। पाईप मटेरियल में अनुचित तरीके से बदलाव किया गया। मीटर स्थापना के खर्च से कंपनी को मुक्त कर दिया तथा 120 किमी की नई वितरण लाईन डालने की बाध्यता को घटाकर 60 किमी कर दिया गया।

कंपनी के बिलों का तत्परता से भुगतान किया गया। बिलों में देरी होने पर प्रदेश के एक केबिनेट मंत्री द्वारा आधिकारिता नहीं होने के बावजूद हस्तक्षेप कर कंपनी को भुगतान का आदेश दिया गया।[17] समय पर काम पूरा नहीं करने वाली कंपनी से अनुबंध तोड़ना तो दूर उसे चेतावनी तक नहीं दी गई। काम में देरी पर कंपनी से हर्जाना वसूलने के बजाय समयसीमा बढ़ाकर उसे पुरस्कृत किया गया।

कंपनी द्वारा जलप्रदाय शुरू करने के बाद नगरनिगम जल कनेक्शनधारियों से एक नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाएगा। इस अनुबंध में सेवा बेहतर करने का तो कोई आश्वासन नहीं है लेकिन सेवा में कमी पर कंपनी की शिकायत न की जा सके इसका जरूर प्रावधान कर दिया गया है। नल कनेक्शनधारियों से वचन लिया जाएगा कि वे पानी के कम दबाव, जलप्रदाय का समय और उपलब्ध करवाई जा रही पानी की मात्रा के संबंध में कोई शिकायत नहीं करेंगें।

बिल राशि संबंधी विवाद के पूर्व कंपनी द्वारा जारी बिल का भुगतान करना होगा। शिकायत सही पाए जाने पर भुगतान की गई राशि अगले बिलों में समायोजित की जा सकेगी। साथ ही यह भी लिखवा लिया जाएगा कि यदि कारणवश कंपनी जलप्रदाय नही कर पाए तो नागरिक अपने पानी की व्यवस्था स्वयं कर लेंगें।

2 माह बिल नहीं भरने पर कंपनी कनेक्शन काट देगी। फिर से सेवा शुरू करवाने हेतु नागरिकों को बकाया बिल राशि के साथ नए कनेक्शन का शुल्क भी देना होगा।[18]

यदि कंपनी अनुबंध में उल्लेखित जलप्रदाय नहीं कर पाई तो भी उसके खिलाफ सेवा में कमी का मामला नहीं बन पाएगा क्योंकि संबंधित धारा में ''यथासंभव'' जोड़ कर कंपनी को जवाबदेही से मुक्त कर दिया गया है।[19]

कनेक्शन शुल्क तो 300 रूपए ही रखा गया है लेकिन इसके साथ मैन लाईन से घर तक का कंपनी द्वारा निर्धारित ब्राण्ड तथा मटेरियल के पाईप, फेरूल, मीटर, अन्य कनेक्शन सामग्री, रोड़ खुदाई और प्लंबर का खर्च कनेक्शनधारियों को उठाना पड़ेगा। नागपुर में विओलिया कंपनी द्वारा किए जा रहे कनेक्शन का खर्च करीब 12 हजार रूपए प्रति कनेक्शन है। निजीकरण हेतु जारी अधिसूचना (नगर पालिक निगम खण्डवा वाटर मीटरिंग और नल संयोजन नियमितीकरण नियम 2012) कंडिका 20

कितना पानी?

विस्तृत योजना रपट (DPR) में केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संगठन (CPHEEO) के मानकों के अनुसार खण्डवा की वर्ष 2011 की अनुमानित 2,18,744 जनसंख्या के लिए 135 lpcd के हिसाब से 29.53 एमएलडी की माँग बताई गई है। जबकि जलप्रदाय 12.6 एमएलडी से 19.50 एमएलडी के मध्य होता है।

CPHEEO मानकों के अनुसार खण्डवा जैसे छोटे नगरों, जहाँ मलनिकास प्रणाली (Sewerage System) नहीं है, के लिए जलप्रदाय का मानक मात्र 70 lpcd है। इस मानक के अनुसार खण्डवा की वर्ष 2011 की जनसंख्या 2,00,681 की वास्तविक जरूरत मात्र 14.05 एमएलडी होती है।

सार्वजनिक नलों से पानी लेने वालों के लिए यह मानक मात्र 40 lpcd है। खण्डवा में वर्ममान में एक तिहाई परिवारों के पास ही अपने स्वयं के नल कनेक्शन है। यदि शेष 2 तिहाई परिवार आगे भी अपने नल कनेक्शन नहीं ले पाते हैं और 'विश्वा' कंपनी द्वारा सुझाए गए समूह कनेक्शनों से ही पानी लेते हैं तो नगर की वास्तविक माँग मात्र 10.03 एमएलडी ही रहेगी। (मोटे तौर पर नल कनेक्शनधारी एक तिहाई जनसंख्या (66,894) के लिए 70 lpcd के हिसाब से 4.68 एमएलडी और बिना नल कनेक्शनधारी दो तिहाई जनसंख्या (1,33,787) के लिए 40 lpcd के हिसाब से 5.35 एमएलडी)

नगरनिगम के आँकड़े खुद के बताते हैं कि नगर में गर्मी के मौसम में भी CPHEEO मानक से अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध है। गर्मी के मौसम में खण्डवा के बाहर से पानी के परिवहन की जरूरत नहीं पड़ती है और टैंकरों में भी नगर के जलस्रोतों से ही पानी भरा जाता है।

नगर में होने वाला जलसंकट वास्तव में व्यवस्थापन की समस्या है जिसे बगैर निजीकरण के हल किया जा सकता है। पर्याप्त जल उपलब्धता के बावजूद कृत्रिम जल संकट पैदा करने का कारण एक गैरजरूरी योजना के पक्ष में माहौल तैयार करना मात्र है।

एवं 28 में लगाए जाने वाले 'वायरलेस के जरिए ऑटोमेटेड मीटर रीडिंग इंटरफेस' वाले अत्याधुनिक मीटर की अनिवार्यता बताई गई है जिसकी कीमत करीब 10 हजार रुपए है। इस मीटर की खासियत यह होती है कि मीटर रीडर को मीटर देखकर रीडिंग पढ़ने की जरुरत नहीं होती है। इस आधुनिक प्रणाली में मीटर रीडर को एक उपकरण लेकर गलियों के चक्कर भर लगाने होते हैं और रीडिंग अपने आप मीटर रीडर के उपकरण में दर्ज हो जाती है। चूँकि मीटर लगाना अनिवार्य है इसलिए प्रत्येक कनेक्शन की लागत करीब 15 हजार रुपए होने का अनुमान है।

किसी व्यक्ति के डिफाल्टर होने पर भी कंपनी को खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति पर बकाया राशि में से आधी राशि का भुगतान निगम द्वारा कंपनी

को तुरंत कर दिया जाएगा तथा शेष भुगतान संबंधित व्यक्ति से मिलने के बाद किया जाएगा।

जलदर पुनरीक्षण

जल दर पुनरीक्षण समिति में निगम के लेखापाल, ऑडिटर, इंजीनियर और कंपनी के प्रतिनिधि शामिल होंगें। जल दरें प्रत्येक 3 वर्ष में 10% की दर से बढ़ाई जानी प्रस्तावित है। लेकिन जब कभी कंपनी जलदरें बढ़ाने का निवेदन करे तो यही समिति उसके बारे में निर्णय लेगी।[20] 3 वर्ष में 10% की जलदर वृद्धि कम लगती है। इसलिए संभावना है कि कंपनी समय–समय पर माँग कर जलदरों में वृद्धि करवा लेगी। चूँकि इस समिति में सरकारी कर्मचारी और कंपनी के प्रतिनिधियों का बहुमत है। इसलिए कंपनी के लिए मनमानी दरें तय करवाना आसान होगा।

योजना पर प्रश्नचिन्ह

निजी निवेश के समय योजना के वित्तीय स्वावलंबन पर बल दिया जाता है। लेकिन इस योजना की वित्तीय स्वावलंबन पर टेण्डर प्रक्रिया में शामिल कंपनियों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। संभवत: इसी कारण से अधिकांश कंपनियों ने टेण्डर प्रस्तुत ही नहीं किए।

योजना के टेण्डर 19 कंपनियों ने खरीदे थे, प्रि–बिड मीटिंग में 12 कंपनियाँ शामिल हुई लेकिन टेण्डर प्रस्तुत करने केवल 4 कंपनियाँ ही सामने आई। टेण्डर प्रक्रिया में शामिल 4 में से 3 कंपनियों ने लिखित में स्पष्ट किया था कि यह योजना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

- अशोका बिल्डकॉन ने योजना को आर्थिक स्वावलंबी बनाने हेतु योजना लागत तथा संचालन/संधारण खर्च कम करने हेतु वर्तमान स्रोत जसवाड़ी (सुक्ता) प्लांट और नागचून से जलप्रदाय जारी रखने का सुझाव दिया था। कंपनी ने 24x7 जलप्रदाय के विचार को भी खारिज कर दिया था क्योंकि इससे बिजली का खर्च काफी बढ़ जाता।[21] उल्लेखनीय है कि विश्वा यूटिलिटीज द्वारा संचालन–संधारण खर्च का आधा हिस्सा तो सिर्फ विद्युत पर खर्च किया जाना है।
- जसको ने योजना को आर्थिक दृष्टि से अव्यवहार्य बताते हुए कहा था कि

सामाजिक और राजनैतिक कारणों से पानी के दाम इतने नहीं बढ़ाए जा सकते कि उससे पूरी लागत निकाल ली जाए। ऐसी स्थिति में निगम को पूर्ण भुगतान की गारण्टी लेनी चाहिए।[22] क्योंकि निजी कंपनी यह जोखिम नहीं उठा सकती।

- यूनिटी इन्फ्रा ने बताया था कि खण्डवा में पानी की कम माँग और लम्बे परिवहन के कारण संचालन/संधारण खर्च अधिक होगा जिससे योजना आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं रह जाएगी। पानी की दरें वर्तमान की अपेक्षा 6-7 गुना बढ़ जायेगी, जिसके लोग आदी नहीं हैं। इसके हल के रूप में कंपनी ने गारण्टी की माँग की थी।[23]

खण्डवा की पेयजल योजना निर्माण हेतु 90% अनुदान दिए जाने के बावजूद टेण्डर प्रक्रिया में शामिल जलक्षेत्र की अनुभवी कंपनियों ने इसे व्यावहारिक मानने से इंकार कर दिया था। लेकिन, जानबूझकर निहित कारणों से इस योजना को आगे बढ़ाया गया। हर प्रकार से कोशिश करने (निविदा प्रपत्रों में संशोधनों) के बाद भी जब योजना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं नहीं बनाई जा सकी तो राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी की आपत्ति के बावजूद बगैर किसी आधिकारिता के गैरकानूनी तरीके से इसे आगे बढ़ाया गया ताकि ठेकेदार कंपनी को फायदा पहुँचाया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में खण्डवा नगरनिगम की समस्त राजस्व आय मात्र 10.14 करोड़ आँकी गई है। ऐसी स्थिति में चूँगी क्षतिपूर्ति तथा अन्य मदों के तहत शासन से प्राप्त होने वाली राशि का समायोजन कंपनी के खाते में करना पड़ेगा और पैसे के अभाव में नगर का विकास अवरूद्ध हो जायेगा। संक्षेप में आसानी से पानी उपलब्ध करवाने के नाम पर निगम का खजाना पूरे 23 सालों के लिए निजी कंपनी के लिए खोल दिया गया है जिसका परिणाम नगर की एक पूरी पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा।

❑

खण्डवा में पानी का निजीकरण विरोधी अभियान

घटनाक्रम का संक्षिप्त ब्यौरा

खण्डवा में जलप्रदाय आवर्धन की नई योजना पर नवंबर 2006 से काम प्रारंभ हुआ। 2007 में जब इसे केन्द्र सरकार समर्थित UIDSSMT में शामिल किया गया है तभी से मंथन अध्ययन केन्द्र द्वारा इसका अध्ययन किया जा रहा है। अध्ययन के दौरान स्थानीय समुदाय से आपसी चर्चाओं, बैठकों के माध्यम से संवाद कर उन्हें UIDSSMT में निहित निजीकरण के खतरे से अवगत करवाया गया। इसके लिए मीडिया का भी सहारा लिया गया था। लेकिन हर बार नगरनिगम और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने बयान देकर निजीकरण की संभावना को खारिज किया तथा इसे नगरनिगम तथा सत्ताधारी पार्टी के प्रति दुष्प्रचार निरूपित किया।[24]

सितंबर 2011 में एक पुस्तिका प्रकाशित कर निजीकरण के प्रति जन जागृति का एक और प्रयास किया गया लेकिन खण्डवावासियों में अपेक्षित प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी। लेकिन जब योजना पूरी होने को आई और 27 मार्च 2012 को मजबूरन खण्डवा नगरनिगम को जलप्रदाय की शर्तो का खुलासा करना पड़ा तो समुदाय संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद करने लगा। इस अभियान में जिला अधिवक्ता संघ, पेंशनर एसोसिएशन, व्यापारी संघ, नागरिक संगठन, राजनैतिक कार्यकर्ता, मीडिया आदि शामिल रहे हैं। इन समूहों ने ज्ञापनों, मीटिंगों, धरना–प्रदर्शनों, जनमत संग्रह आदि के माध्यम से लगातार जनजागृति की है।

UIDSSMT के तहत मध्यप्रदेश के 47 नगरों में 990 करोड़ की जलप्रदाय संबंधी योजनाएँ स्वीकृत हैं। लेकिन, क्रियांवयन के मामले में प्रदेश की सारी योजनाएँ पीछे चल रही है। फिलहाल प्रदेश के खण्डवा और शिवपुरी की जलप्रदाय योजनाओं

को पीपीपी के तहत निजी कंपनियों को सौंप दिया गया है। योजना आयोग समेत कई मंचों पर खण्डवा में पानी के निजीकरण को छोटे और मझौले नगरों के लिए सफल पीपीपी मॉडल के रुप में प्रचारित किया जा रहा है।

3 दिसंबर 2012 को नगर निगम द्वारा वाटर मीटरिंग और नल संयोजन नियमितीकरण नियम की अधिसूचना प्रकाशन के बाद नागरिकों ने अधिकृत रुप से निजीकरण पर अपनी आपत्तियाँ दर्ज करवाई। निर्धारित 30 दिनों में 10,334 परिवारों, जो कि कुल नल कनेक्शनधारियों की संख्या के 60 प्रतिशत से अधिक है, ने पानी के निजीकरण के संबंध में निजी कंपनी के साथ किए गए अनुबंध की वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए अनुबंध रद्द करने की माँग की थी।

इसी दौरान एक स्थानीय वरिष्ठ नागरिक लक्ष्मीनारायण भार्गव की याचिका पर 31 दिसंबर 2012 को जिला उपभोक्ता फोरम ने शिकायतों के पारदर्शी तरीके से निराकरण करने तक अनुबंध के अंतिम प्रकाशन पर रोक संबंधी आदेश दिया। इसके बाद राज्य शासन द्वारा श्री तरुण पिथोड़े, सीईओ, जिला पंचायत की अध्यक्षता में 22 मार्च 2013 को एक 7 सदस्यीय स्वतंत्र समिति गठित की गई थी। समिति में लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री, पोलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य, चार्टर्ड एकाउंटेण्ट, वास्तुकार और राजनैतिक कार्यकर्त्ता शामिल थे।

स्वतंत्र समिति ने पाया कि नागरिकों की आपत्तियों में पानी से संबंधित हर प्रकार की चिंताएँ और नगरनिगम की सामाजिक जवाबदेही का उल्लेख था। नागरिकों की सबसे प्रमुख आपत्तियों में चौबीसों घण्टे जलप्रदाय (24x7) को अनावश्यक बताते हुए इस अवधारणा को खारिज किया जाना शामिल था। सार्वजनिक नल खत्म न किए जाने, सार्वजनिक जल संसाधन निजी कंपनी को न सौंपे जाने, पानी की अधिक माँग दिखाने हेतु गलत तथ्य पेश करने, नॉन रेवेन्यू जलप्रदाय की अवधारणा खत्म करने, महँगे पानी के मीटर की अनिवार्यता होने, जल दर निर्धारण में निजी कंपनी का वर्चस्व होने जैसी 51 प्रकार की आपत्तियाँ उठाई गई थी। इन आपत्तियों के आधार पर निजी कंपनी के साथ किए गए अनुबंध को रद्द किए जाने की माँग की गई थी। इसके अलावा योजना के सलाहकार मेहता एण्ड एसोसिएट्स के चयन और निजी कंपनी को फायदा पहुँचाने हेतु अनुबंध तथा निर्माण सामग्री में किए गए मनमाने बदलावों को भी प्रमुखता से उठाया था।

जनजागृति: *स्थानीय सामाजिक, राजनैतिक एवं अन्य समूह शुरू से प्रयास करते तो खण्डवा में पानी का निजीकरण न हो पाता।*

व्यक्तिगत आपत्तियों के अलावा कुछ शासकीय संस्थाओं ने भी शासकीय जलसंाधनों के अधिग्रहण की स्थिति में पानी के बिल का अनावश्यक बोझ शासन पर पड़ने का उल्लेख करते हुए आपत्ति प्रकट की थी। आपत्तियों के अलावा नर्मदा योजना से प्राप्त जल को अतिरिक्त स्रोत के रुप में इस्तेमाल करने और नगर में जलप्रदाय हेतु एक स्वायत्त जल बोर्ड बनाने संबंधी सुझाव दिए थे।

स्वतंत्र समिति द्वारा 3 जून 2013 को खण्डवा कलेक्टर को सौंपी रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि निजीकरण लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए नहीं बल्कि निहित स्वार्थों के कारण नागरिकों पर जबरन थोपा गया है। निजी कंपनी के पक्ष में प्रशासनिक और राजनैतिक स्तर पर एक गठजोड़ बना हुआ है। इसी के चलते मेयर इन कौंसिल और निगम कमिश्नर ने न सिर्फ निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुँचाए बल्कि निजीकरण हेतु नगरपालिक अधिनियम 1956 का भी उल्लंघन किया गया।

मेयर इन कौंसिल (एमआईसी) द्वारा अपनी सीमाओं से परे जाकर निजीकरण का निर्णय लिया जाना तथा निगम कमिश्नर द्वारा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना निविदा पत्र में आमूलचूल बदलाव किए जाने को रिपोर्ट में गंभीर अनियमितता बताया गया है। नगरनिगम महापौर की अध्यक्षता वाली एमआईसी को कटघरे में खड़ा करते हुए लिखा गया है कि एमआईसी को योजना के संबंध में केवल वित्तीय अधिकार प्राप्त

थे लेकिन उसने पानी के निजीकरण का निर्णय ले लिया। निगम कमिश्नर ने निविदा प्रपत्र में बदलाव कर ठेकेदार कंपनी की 120 किमी की नई वितरण लाईनें डालने की बाध्यता को घटा कर 60 किमी कर दिया गया तथा कंपनी को पाईप मटेरियल (योजना लागत का 70 प्रतिशत खर्च पाईप पर हुआ है) बदलने की भी छूट दे दी थी। इन विधिविरुद्ध कृत्यों से योजना का स्वरुप ही बदल गया तथा निजी कंपनी को गैरवाजिब सुविधाएँ प्रदान कर दी गई। समिति रिपोर्ट में बड़ी संख्या में नागरिकों की आपत्तियों पर टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि निजीकरण जनता को स्वीकार नहीं है और यदि इसे लागू किया गया तो कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है।

निगम कमिश्नर द्वारा किए गए कुछ अन्य बदलावों के बारे में रपट में स्पष्ट किया गया है कि कमिश्नर ने जल वितरण निजी कंपनी से ही करवाने तथा इसी अनुरुप निविदा स्वीकृत करवाने का पहले से ही निर्णय ले लिया था। राज्य स्तरीय साधिकार समिति ने भी इस विधिविरुध्द कार्रवाही को रेखांकित करते हुए साधिकार समिति के निर्णय अनुरुप कार्य नहीं किया जाना तथा बिना अनुमति के कार्यादेश जारी किया जाना बताया था।

'बहुत सारी अनियमितताओं' के कारण स्वतंत्र समिति ने निजीकरण अनुबंध को निरस्त कर एक जल बोर्ड गठित करने की सिफारिश की है। समिति ने धार्मिक एवं सामाजिक दायित्वों के परिप्रेक्ष्य में जलस्रोतों को निजी कंपनी को हस्तांतरित किए जाने का विरोध किया है। नागरिकों के जल अधिकारों का समर्थन करते हुए गरीब बस्तियों में 'अधिक से अधिक सार्वजनिक स्टेण्ड पोस्ट' लगाने की माँग की है। कंपनी को दी गई 'नो पेरेलल कंपीटिंग फेसिलिटी' के विरुद्ध अभिमत प्रकट करते हुए कहा है कि नगरनिगम के जलप्रदाय के विरुद्ध कोई समानांतर जलप्रदाय नहीं होना चाहिए। समिति ने निजी कंपनी की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जो कंपनी 2 वर्ष का निर्माण कार्य साढ़े तीन सालों में भी पूरा नहीं कर पाई उसे 23 वर्षो के लिए नगर की जलप्रदाय व्यवस्था कैसे सौंपी जा सकती है। रिपोर्ट में योजना के सलाहकार मेहता एण्ड एसोसिएट्स के चयन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सलाहकार के पास अपेक्षित अनुभव नहीं था तथा उसे निर्धारित से अधिक मेहनताना दिया गया।

यूआईडीएसएसएमटी के संबंध में निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय साधिकार समिति तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मुख्य

विशाल योजना लागत

यूआईडीएसएसएमटी के तहत माँग पर आसानी से धन उपलब्ध होने से स्थानीय निकायों का रूझान अधिक लागत वाली योजनाओं तरफ बढ़ रहा है। खण्डवा की योजना का आकल्पन 36 करोड़ रूपए से शुरू हुआ तथा केन्द्र सरकार द्वारा लागत बढ़ाने से इंकार के बाद 115 करोड़ रूपए पर रोका गया अन्यथा लागत बढ़ाने के प्रयास जारी ही थे।

इस खेल में निजी सलाहकारी फर्मों के शामिल होने से योजना लागतें तेजी से बढ़ने लगी है। सलाहकारी फर्में परसेंटेज के आधार पर अपनी फीस लेती है। खण्डवा में मेहता एण्ड एसोसिएट्स ने योजना लागत के डेढ़ प्रतिशत यानी 1 करोड़ 73 लाख रूपए (इस भुगतान पर टेक्स नगरनिगम चुकाएगा) पर सौदा पटाया है। यदि योजना की लागत 36 करोड़ ही होती तो इसी काम के सलाहकारी फर्म को 54 लाख रूपए ही मिलते। कंपनियाँ भी योजना लागत बढ़ाकर (cost padding) अपने हिस्से का निवेश भी अनुदान से निकालना चाहती है। इस प्रकार सलाहकार और निजी कंपनियों सहित अन्य सभी पक्ष (जनता को छोड़कर) भी योजना की लागत बढ़ने से खुश रहते हैं।

इसका असर यह हो रहा है कि योजनाओं की लागत बढ़ाने के लिए दूर के जलस्रोतों का चयन और पानी की अधिक माँग दिखाई जाने लगी है। UIDSSMT के तहत मिलने वाले अनुदान स्थानीय निकायों की अपेक्षाओं से कहीं अधिक बड़े होने के कारण स्थानीय स्तर पर उचित पर निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित हुई है तथा निर्वाचित नगरनिकाय अपने ही कर्मचारियों एवं नागरिकों के हितों के बजाय निजी कंपनियों के हितों के प्रति अधिक संवेदनशील बन रहे हैं।

अभियंता की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय तकनीकी समिति करती है। जबकि राज्य स्तर पर इन योजनाओं के समन्वय का काम 'मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ' करता था। राज्य स्तरीय साधिकार समिति ने खण्डवा की निविदा में बारबार किए जा रहे अनधिकृत बदलावों तथा निर्माण सामग्री के बदलावों के परिप्रेक्ष्य में नई निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया था। इसी निर्णय के प्रकाश में नोडल एजेंसी ने नई निविदा आमंत्रित करने का निर्देश दिया। लेकिन खण्डवा नगरनिगम ने इस मामले अनावश्यक भ्रम फैलाकर निजी कंपनी को लाभ पहुँचाने हेतु शातिराना तरीके अपनाए जिसमें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मुख्य अभियंता, जो राज्य स्तरीय तकनीकी समिति के अध्यक्ष भी है, ने पूरा सहयोग दिया। राज्य स्तरीय साधिकार समिति के निर्णय को चुनौती देने हेतु मुख्य अभियंता ने 2 पत्र जारी किए।[25] पत्रों की विषयवस्तु से स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी ओर से इस मामले में कोई स्पष्ट विनिश्चय व्यक्त नहीं किया है बल्कि गलत तथ्य प्रस्तुत कर अनावश्यक भ्रम फैलाने

का प्रयास किया ताकि नगरनिगम को कंपनी के पक्ष में मनमानी जारी रखने का बहाना मिल जाए। खण्डवा नगरनिगम ने मुख्य अभियंता के अवांछित पत्रों के आधार पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय साधिकारी समिति के निर्णय को बदल दिया तथा निजी कंपनी के साथ अनुबंध कर लिया।

प्रशासनिक कार्रवाही में राजनैतिक हस्तक्षेप संदेह पैदा करते हैं। जब नोडल एजेंसी द्वारा राज्य स्तरीय साधिकार समिति के निर्णयानुसार योजना में बदलाव के खिलाफ सख्ती दिखाई गई तो तत्कालीन महापौर श्री वीरसिंह हिंडोन इस मामले में कूद पड़े। निगम कमिश्नर को लिखे गए पत्र का जवाब महापौर ने दिया। महापौर ने सख्त लहजे में पत्र लिखकर नोडल एजेंसी की कार्यकारी निदेशिका को धमकाया कि वे इस मामले मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। अगले कुछ दिनों तक नगरनिगम ने नोडल एजेंसी की मीटिंगों में शामिल होने से परहेज किया। अंत में राज्य स्तरीय साधिकार समिति का निर्णय नज़रअंदाज कर नगरनिगम ने जलप्रदाय योजना निर्माण एवं संचालन हेतु निजी कंपनी से अनुबंध कर लिया। नोडल एजेंसी द्वारा योजना को जारी की गई मंजूरी में उल्लेख किया गया है कि नगरनिगम ने राज्य स्तरीय साधिकार समिति के निर्णय अनुरुप कार्य नहीं किया है। लेकिन बाद में इस अवैधानिक कृत्य को राज्य के मुख्य सचिव को भी मंजूरी देनी पड़ी। खण्डवा में निजीकरण विरोधी जनमत और निजीकृत योजना के संबंध में स्वतंत्र समिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट की उपेक्षा करते हुए योजना को इसी रुप में जारी रखने का प्रयास है। जिम्मेदारों का यह तानाशाही रवैया कहीं नगर में कानून व्यवस्था की स्थिति, जैसा की स्वतंत्र समिति की रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है, निर्मित न कर दें।

संक्षेप में खण्डवा में पानी के निजीकरण प्रयासों के संबंध में स्वतंत्र समिति की रपट ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि निजीकरण को आगे बढ़ाने हेतु जिस प्रकार के घोटाले हर जगह किए जाते हैं खण्डवा भी न सिर्फ उनसे अछूता रहा है बल्कि यहाँ तो निजी कंपनी को फायदा पहुँचाने हेतु प्रशासनिक प्रक्रियाओं में राजनैतिक हस्तक्षेप, निजीकरण पर नागरिकों और जनप्रतिधियों की राय की उपेक्षा करना जैसे कई अवैधानिक काम किए गए हैं।

इस सब के लिए केवल नगरनिगम के कर्मचारी या निर्वाचित परिषद को दोष दिया जाना पर्याप्त नहीं है। खण्डवा में पानी में निजीकरण की प्रक्रिया के पहले 5

सालों के दौरान सबसे दुखद था सामाजिक एवं राजनैतिक स्तर पर प्रतिक्रिया का अभाव जिसके कारण निजीकरण की राह आसान हुई। उम्मीद करें कि खण्डवा के अनुभव से दूसरे नगर कुछ सीखेंगें और समय रहते अपने पानी को निजी कंपनियों की जागीर बनने से रोकेंगें।

टिप्पणियाँ

1. श्री ताराचंद अग्रवाल, पूर्व महापौर, खण्डवा से बातचीत के आधार पर
2. योजना संबंधी फाईल की नोटशीट, पृष्ठ - 1 एवं 2
3. वही, पृष्ठ - 15
4. वही, पृष्ठ - 15
5. वही, पृष्ठ - 26 एवं 27
6. वही, पृष्ठ - 76
7. राज्य स्तरीय तकनीकी समिति बैठक दिनांक 12 जनवरी 2009 का कार्यवृत्त, निगम की साधारण सभा दिनांक 13 अगस्त 2007 में पारित प्रस्ताव
8. नर्मदा जल आवर्धन योजना की विस्तृत योजना रपट, पृष्ठ - 17, योजना संबंधी फाईल की नोटशीट, पृष्ठ - 26 एवं 27
9. विश्वा इंन्फ्रा का प्राईस ऑफर- II, दिनांक 10 फरवरी 2009
10. नगरनिगम, खण्डवा द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी।
11. तापी प्रिस्ट्रेस्ड प्राडक्ट्स लिमिटेड का पत्र दिनांक 14 जून 2008
12. वर्तमान में 15,664 घरेलू, 259 व्यावसायिक और 20 औद्योगिक कनेक्शन है। सार्वजनिक कनेक्शनों की संख्या 1733 बताई गई है।
13. यदि सबको पृथक कनेक्शन दिए जाएं तो खण्डवा में 23,510 घरेलू, 14,089 लाईफलाईन और 2,427 व्यावसायिक कनेक्शनों की संभावना है।
14. जल संसाधन विभाग, खण्डवा द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी।
16. अनुबंध की No Parallel Competing Facility संबंधी कण्डिका
16. तरूण पिथोड़े समिति रपट, जून 2013, पृष्ठ - 20
17. योजना संबंधी फाईल की नोटशीट, पृष्ठ - 85 दिनांक 21 अगस्त 2010 जिसमें तत्कालीन आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री विजय शाह द्वारा नगरनिगम में बैठक कर विश्वा कंपनी को 3 करोड़ रूपए भुगतान करने का आदेश दिया गया।

18. खण्डवा जल आवर्धन योजना अनुबंध, दिनांक 3 अक्टूबर 2009 की धारा 9.1.6(i) & (ii) (Page-48)
19. निविदाकर्ताओं के लिए सूचनाएँ-I (संशोधन), भाग-V, [(2.2.2 (ii)], पृष्ठ-198
20. योजना अनुबंध का शिड्यूल-K, Vol. - I, पृष्ठ 47
21. अशोका बिल्डकॉन का पत्र दिनांक 22 अगस्त 2008
22. जसको का पत्र दिनांक 23 जून 2008
23. यूनिटी इन्फ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड का पत्र, दिनांक 30 सितंबर 2008
24. जल समिति प्रभारी श्री दिनेश पालीवाल का 14 सितंबर 2009 के नईदुनिया में एवं तत्कालीन मेयर श्री वीरसिंह हिंडोन का 16 सितंबर 2009 के नईदुनिया में प्रकाशित बयान।
25. मुख्य अभियंता के पत्र दिनांक 16 जनवरी 2009 और 19 मार्च 2009

शिवपुरी जलप्रदाय आवर्धन योजना

शिवपुरी उत्तरी म॰प्र॰ में ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाला एक जिला मुख्यालय है। माधव नेशनल पार्क से घिरा यह नगर सिंधिया रजवाड़ों का ग्रीष्मकालीन आरामगाह थी। नगर की वर्ष 2001 में जनसंख्या 146859 थी जो 2011 में बढ़कर 179,972 हो गई।

शिवपुरी जिले से 4 नदियाँ—पार्वती, सिंध, कुनो और बेतवा—गुजरती है। कुनो, बेतवा और सिंध नदियाँ चंबल की सहायक नदी है। पार्वती नदी ग्वालियर जिले के पवैया में सिंध से मिलती है। यह नगर इंदौर—ग्वालियर ब्राडगेज रेल्वे लाईन तथा आगरा—मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है।

वर्तमान जलप्रदाय

शिवपुरी नगरपालिका के अनुसार वह नगर में कुल 90 लाख लीटर/दिन (9 एमएलडी) जलप्रदाय करती है जिसमें से 5 एमएलडी माधव सागर झील से तथा शेष 4 एमएलडी भूजल से प्राप्त होता है। माधव सागर के पानी हेतु 5 एमएलडी क्षमता के 3 फिल्टर प्लांट है जिनमें से एक 2.8 एमएलडी क्षमता का तथा शेष दो में प्रत्येक की क्षमता 1.1 एमएलडी है। 2.8 एमएलडी फिल्टर प्लांट में लीकेज ज्यादा है जिसके कारण ओवरहेड टंकियाँ पूरी नहीं भर पाती है। स्थानीय निवासियों के अनुसार नगर में दर्जनों तालाब थे जिन्हें या तो पाट दिया गया है या फिर पाटने की प्रक्रिया में है।

झीलें और तालाब

नगर से 8 किमी दूर माधव सागर झील जलप्रदाय का प्रमुख स्रोत है। इस झील को नगर के पूर्वी हिस्से में स्थित चाँदपाठा जलाशय से पानी मिलता है। पहले

चाँदपाठा से ही जलप्रदाय होता था लेकिन नगरपालिका द्वारा इसमें कचरा निपटान करने तथा नगर का गंदा पानी (सीवर) मिलाने के कारण यहाँ से जलप्रदाय बंद कर दिया गया है। हालांकि चाँदपाठा की गंदगी आगे जाकर माधव सागर में ही मिलती है।

नगर का प्रमुख गंदा नाला (सीवर) पहले जाधव सागर में मिलता है जिससे यह पूरी तरह अनुपयोगी हो गया है। जाधव सागर, चाँद पाठा और माधव सागर आपस में जुड़े हुए हैं जिससे शहर की गंदगी एक साथ इन सभी तालाबों में मिल जाती है। इसके अलावा मणियर तालाब का एक बड़ा हिस्सा पाट कर उस पर हाउसिंग बोर्ड ने कॉलोनी बना दी है। भुजरिया तालाब में चारों ओर से अतिक्रमण जारी है।

ट्यूबवेल

नगर का करीब आधा हिस्सा ओवरहेड टंकियों की वितरण व्यवस्था से नहीं जुड़ा है। इन इलाकों में ट्यूबवेल से जलप्रदाय होता है। 'जनभागीदारी योजना' के अंतर्गत हाल के वर्षों में नगरपालिका द्वारा जहाँ जलप्रदाय कम है वहाँ पर बड़ी संख्या में ट्यूबवेल खोदे गए हैं। नगरपालिका द्वारा खोदे गए इन ट्यूबवेलों के संचालन/संधारण की जिम्मेदारी समुदाय को दे दी गई है। इसके अलावा 177 हेण्डपंप भी है। नगरपालिका के अनुसार अप्रैल 2007 में 219 में से 100 ट्यूबवेल सूख गए थे। नगर में कुछ पुराने कुएँ है जिनका पुराने शिवपुरी के कुछ इलाकों में उपयोग किया जा रहा है।

वितरण तंत्र

नगर में 2731 किलो लीटर (किली) क्षमता की 6 ओवरहेड टंकियाँ है जिनमें से 227 किली की एक टंकी उपयोगलायक नहीं है। वितरण लाईनें सिर्फ पुराने नगर में है। नई विकसित कॉलोनियों में ट्यूबवेल से सीधा जलप्रदाय किया जाता है। जहाँ वितरण लाईनें तथा ट्यूबवेल नहीं है वहाँ के रहवासी हेण्डपंप पर निर्भर है। सामान्यत: एक दिन छोड़ कर 30 मिनिट जलप्रदाय किया जाता है लेकिन गर्मी के दिनों में 3 से 4 दिनों में एक बार जलप्रदाय होता है। नई जल आवर्धन योजना के डीपीआर के अनुसार नगर की वर्ष 2010 की आंकलित जनसंख्या 1,80,000 को 50 एलपीसीडी के हिसाब से 9 एमएलडी जलप्रदाय किया जा रहा है।[1] ट्यूबवेल से जलप्रदाय के आँकड़े उपलब्ध नहीं है। नगर में एक दिन छोड़कर जलप्रदाय होता है।

जल वितरण : *निजीकरण के दौर में सार्वजनिक जलप्रदाय संभव नहीं।*

29 नवंबर 2001 से यहाँ जलप्रदाय की दर 70 रूपए/माह है। इसके पहले ये दरें 40 रूपए/माह थी।

निजीकृत योजना

UIDSSMT के तहत स्वीकृत इस नई जल आवर्धन योजना की आवश्यकता दर्शाने हेतु वर्तमान जलस्रोतों चाँदपाठा जलाशय और माधव सागर झील के प्रदूषित होने तथा भूजल स्तर गिरने से ट्यूबवेल से जलप्रदाय में बाधा आना जैसे कारण गिनाए गए थे। CPHEEO मानकों[2] से कम जलप्रदाय भी एक कारण दर्शाया गया था।

योजना के लिए सिंध नदी पर निर्मित मड़ीखेड़ा बाँध से पानी लिया जाना प्रस्तावित है। नगर से 37 किमी दूर इस बाँध को 2007 में पहली बार भरा गया। इसके न्यूनतम प्रदायस्तर 209 मीटर पर 66.98 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) पानी उपलब्ध होता है जो नगर की वर्ष 2060 की जरूरत 12.12 एमसीएम से कहीं अधिक है।

UIDSSMT की शर्तों के तहत योजना की स्वीकृत लागत 59.64 करोड़ रूपए का 80% यानी 53.68 करोड़ केन्द्र सरकार से और 10% यानी 5.96 करोड़ राज्य से अनुदान प्राप्त हुआ है। शेष 10% यानी 5.96 करोड़ रूपए नगरपालिका को निवेश करने थे लेकिन अपने हिस्से के निवेश के बदले नगरपालिका ने योजना को

पीपीपी के तहत फ्रांसिसी बहुराष्ट्रीय कंपनी 'विओलिया' के साथ पानी के व्यापार में सक्रिय निजी कंपनी **'दोशियन लिमिटेड'** को न्यूनतम जलप्रदाय दर के आधार पर सौंप दिया गया है। दोशियन इस योजना के संचालन हेतु **'शिवपुरी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड'** नामक एक स्पेशल परपज वेहीकल (SPV) बनाया है।

योजना के तहत शुरूआत में 42 एमएलडी क्षमता की पंपिंग मशीनरी और 40 एमएलडी का ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाना है। इसके अलावा 15 किमी कच्चे पानी की लाईन, 15 किमी साफ पानी की लाईन, 87 किमी वितरण लाईनों का सुधार, 63 किमी नई वितरण लाईनें और 12 ओवरहेड टंकियाँ बनाई जानी है। पानी के हर कनेक्शन पर मीटर भी लगाया जाएगा। कच्चे एवं शुद्धिकृत जल परिवहन हेतु जीआरपी पाईपलाईन का उपयोग किया जाना है। वर्ष 2025 के बाद दूसरे चरण में जलप्रदाय तंत्र की क्षमता बढ़ाई जा सकेगी।

पहले योजना से 24x7 (चौबीसों घण्टे सातों दिन) जलप्रदाय प्रस्तावित था लेकिन बाद में इसे बदलकर प्रतिदिन 3 घण्टा सुबह और 3 घण्टा शाम कर दिया गया।[3] ओवरहेड टंकियों की क्षमता इतनी होगी कि सुबह–शाम जलप्रदाय के पूर्व इनमें जरूरत का आधा पानी संग्रहित हो सके। इसके लिए 13,000 किली की 12 नई टंकियाँ बनाई जाएगी। 2504 किली की वर्तमान टंकियों का उपयोग भी जारी रहेगा। गणना के अनुसार वर्ष 2025 की कुल जरूरत (43 MLD) के 35% यानी 15.05 एमएलडी पानी के भण्डारण की क्षमता जरूरी है। यदि अग्निशमन की जरूरत 527 किली जोड़ दी जाए तो नगर के लिए कुल 15.58 किली के भण्डारण की जरूरत होगी।

कंपनी 25 वर्षों तक जलप्रदाय योजना का संचालन/संधारण कर निम्न प्रमुख सेवाएँ देगी –

- उचित दबाव के साथ न्यूनतम 135 एलपीसीडी जलप्रदाय करते हुए 24x7 (चौबीसों घण्टे सातों दिन) जलप्रदाय। (बाद में इसे बदलकर प्रतिदिन 3 घण्टा सुबह और 3 घण्टा शाम कर दिया गया।)
- हर नल कनेक्शन पर मीटर लगाना।
- नए कनेक्शन देना, पुराने कनेक्शनों को पुनः जोड़ना, मरम्मत आदि।

जनसंख्या अनुमान एवं पानी की माँग

वर्ष	जनसंख्या	पानी की माँग (MLD)				योजना हेतु मान्य mld
		@ 135 lpcd	15% बेहिसाबी पानी	10% अतिरिक्त*	योग	
2007	1,67,000	22.55	3.38	2.26	28.19	28
2010	1,80,000	24.30	3.65	2.43	30.38	30
2025	2,55,000	34.43	5.16	3.44	43.03	43
2040	3,60,000	48.60	7.29	4.86	60.75	61
2060	5,80,000	81.00	12.15	8.10	101.25	101

*बड़े संस्थानों, संस्थागत जरूरतों और आनेजाने वाले लोगों के लिए लगने वाला अतिरिक्त पानी।

- अवैध नल कनेक्शनों का नियमितीकरण।
- बिल बनाने और उसकी वसूली का तंत्र स्थापित करना।
- जलदरों से संचालन/संधारण खर्च और निवेश की गई राशि मुनाफे सहित वसूलना।

DPR के अनुसार वर्तमान जलप्रदाय तंत्र संतोषजनक रूप से काम नहीं कर रहा है और नगर के सारे नल कनेक्शन इसी से जुड़े हैं। नगर की गलियाँ सीमेंटीकृत है। यदि नई लाईन डाली जाती है तो इसे खोदना काफी कठिन होगा और महँगा भी पड़ेगा। इसलिए तय किया गया कि निजीकृत योजना के लिए वर्तमान वितरण तंत्र का ही उपयोग किया जाएगा। जहाँ तकनीकी कारणों से जरूरी होगा सिर्फ वहीं पर वितरण पाईप बदले जाएँगें। नगर के आसपास विकसित नए क्षेत्र एवं कॉलोनियों में जलप्रदाय तंत्र निर्मित किया जाएगा।

बेहिसाबी पानी (Unaccounted for Water) का उपयोग नागरिक सेवाओं जैसे उद्यानों, सार्वजनिक कार्यक्रमों, सड़कों की सफाई आदि में होता है। DPR के अनुसार इसका अधिकांश हिस्सा लीकेज और अवैध कनेक्शनों से चोरी में चला जाता है। सार्वजनिक नलों से वितरित किए जाने वाले पानी को भी बेहिसाबी पानी में जोड़ा जाता है। DPR में कहा गया है कि लीकेज, अवैध कनेक्शनों और सार्वजनिक नलों से जलप्रदाय का उचित प्रबंधन एवं कठोर जाँच पड़ताल से बेहिसाबी पानी की मात्रा

योजना लागत

निर्माण घटक	लागत (लाख रूपए)
निर्माण सामग्री	6540.20
विद्युत संबंधी व्यय	1196.80
अन्य	334.00
भविष्य के जल आवर्धन का खर्च	0.00
कुल लागत	**8071.00**

कम की जाएगी।

DPR में दी गई समयावधि के अनुसार अक्टूबर 2007 में स्वीकृत इस योजना का निर्माण अगले 2 वर्षों में पूर्ण हो जाना था लेकिन कंपनी के साथ अनुबंध ही 10 सितंबर 2009 को हो पाया। अनुबंध के बाद अगस्त 2011 में निर्माण कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए था। ठेकेदार कंपनी के धीमी गति से कार्य करने के कारण यह काम सवा 5 वर्षों में भी पूर्ण नहीं हो पाया है। नगरपालिका के सूत्र बताते हैं कि अगले 2 वर्षों में भी जलप्रदाय संभव नहीं दिखाई दे रही है।

वित्तीय आंकलन

नगरपालिका ने पीपीपी के तहत पेयजल योजना निजी कंपनी 'दोशियन लिमिटेड' को सौंप कर केन्द्र और राज्य से प्राप्त सारा अनुदान 53.68 करोड़ रूपए भी उपलब्ध करवाने पर सहमति दी है। कंपनी को 25 वर्षों तक योजना का संचालन/संधारण कर निवेश की गई राशि और मुनाफा कमाने की छूट दे दी गई है। कंपनी द्वारा जितना जल शुद्धिकृत किया जाएगा पानी की माँग उतनी ही मानी जाएगी।[4] कंपनी ने जलप्रदाय की न्यूनतम दर 15.40 रूपए/किली घोषित की है। कंपनी ने योजना का संचालन/संधारण खर्च 12.292 करोड़ रूपए सालाना बताया है तथा अपने निवेश पर 16.6% सालाना मुनाफे की माँग की है।

नल कनेक्शन और प्रस्तावित वसूली

वर्ष	कुल नल कनेक्शन	शुल्क (रूपए)		कुल राजस्व (रू.) (B*D)
		प्रति माह	प्रति वर्ष (C*12)	
A	B	C	D	E
2010	12,885	150	1800	2,31,93,000
2014	18,000	150	1800	3,24,00,000

योजना लागत

निजी कंपनी द्वारा दिखाया गया संचालन/संधारण खर्च अत्यधिक है। उदाहरण के लिए यदि वर्ष 2010 में योजना शुरू हो जाती तो 30 एमएलडी जलप्रदाय का संचालन/संधारण खर्च 16.86 करोड़ रूपए होता। न्यूनतम 80% जलप्रदाय होने पर भी सालाना खर्च 13.49 करोड़ रूपए होता जिसकी वसूली स्थानीय नागरिकों पर बहुत भारी पड़ती। चूँकि देरी के कारण योजना शुरू नहीं हो पाई है इसलिए शिवपुरी के नागरिकों का अभी तक इस समस्या से सामना नहीं हुआ है। जब योजना शुरू होगी तब यह सवाल मुँह बाए खड़ा होगा। वैसे वर्तमान में नगरपालिका तो जलप्रदाय के सालाना खर्च डेढ़ करोड़ रूपए का एक तिहाई भी नहीं वसूल पाती है।[5]

जल दरों को लेकर अभी तक सार्वजनिक हुए दस्तावेजों में स्पष्टता नहीं है। मान लिया जाए कि यदि कंपनी मानकों के अनुसार फ्लेट दरों पर जलप्रदाय करती है तो शुरूआत से ही कंपनी घाटे में रहेगी। मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ द्वारा संशोधित निविदा शर्तों के अनुसार पहले वर्ष में कंपनी को फ्लेट दरों पर वसूली करनी होगी। ये दरें गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए 100 रूपए/माह तथा अन्य घरेलू कनेक्शनों के लिए 150 रूपए/माह होगी। लेकिन डीपीआर में शुरूआती जलदरें 200 रूपए/माह दर्शाई गई है।

शिवपुरी में वर्तमान में 12,885 नल कनेक्शन है तथा निजीकृत जलप्रदाय शुरू होने पर कनेक्शनों की संख्या बढ़ाकर 18,000 करनी होगी। यदि वर्तमान सारे कनेक्शनों से 150 रूपए/माह वसूला जाए तो सालाना 2 करोड़ 31 लाख की राजस्व

अतिक्रमण: *जलस्रोतों पर अतिक्रमण से बढ़ते जलसंकट के नाम पर निजीकरण किया जा रहा है।*

प्राप्ति होगी। सारे 18,000 कनेक्शन हो जाने पर भी इस दर से 3 करोड़ 24 लाख ही वसूले जा सकते हैं जबकि नगर की जरूरत के 30 एमएलडी जलप्रदाय का शुरूआती सालाना खर्च ही 16 करोड़ 86 लाख है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट नहीं है कि कंपनी का साढ़े 13 करोड़ से अधिक का घाटा कौन भरेगा। नगरपालिका या नागरिक? लेकिन इतना तय है कि कंपनीयाँ घाटे में रहती नहीं है।

यह अनुबंध भी खण्डवा के पीपीपी अनुबंध से अलग नहीं है जिसमें आम जनता के बजाय निजी कंपनी के हितों का सरंक्षण किया गया है। हमने इस योजना के कुछ खास पहलुओं पर समालोचनात्मक दृष्टि डालने का प्रयास किया है।

जल दरें

कंपनी द्वारा दर्शाई गई 15.40 रूपए/किली की जल दरें सिर्फ न्यूनतम दरें है जो समय के साथ तथा कंपनी की माँग पर बढ़ती रहेगी। पानी के बिल में सेवा कर, स्थानीय कर आदि भी शामिल होगा। कनेक्शन/विच्छेदन शुल्क, मीटर मरम्मत आदि का पैसा भी बिल के साथ जोड़ा जाएगा।

जल दरों में 3 साल में एक बार 10% बढ़ोत्तरी तय है। इसके अलावा बिजली, कच्चे पानी की दरों अथवा जल को प्रभावित करने वाले किसी अन्य घटक की कीमतों में वृद्धि होने पर भी कंपनी जलदरों में बढ़ोत्तरी कर सकती है।

12 मई 2009 की प्रि–बिड मीटिंग के दौरान किए गए संशोधन (Schedule Q, page 175, Vol II) के अनुसार योजना संचालन के 3 वर्षों बाद यदि वास्तविक माँग 80% से कम हुई तो मामला दर निर्धारण समिति के पास भेजा जाएगा। ऐसी परिस्थिति में निजी कंपनी कभी भी जल दर वृद्धि हेतु दर निर्धारण समिति के पास जा सकती है।

जलदर निर्धारण समिति

अनुबंध में एक जल दर निर्धारण समिति गठित किए जाने का प्रावधान है जो कंपनी के अनुरोध पर मौजूदा दरों में बदलाव करेगी। जल दर निर्धारण समिति में कंपनी का एक प्रतिनिधि, नगरपालिका के सीएमओ, स्थानीय फण्ड (ऑडिट) के उप निदेशक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के कार्यकारी अभियंता और योजना के स्वतंत्र ऑडिटर शामिल होंगे। इस समिति में न तो कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि है और न ही स्थानीय निवासी। ऐसे में कंपनी द्वारा दर वृद्धि का प्रस्ताव रखे जाने पर आम जनता की परेशानी समझने वाला कोई नहीं होगा और कंपनी के पक्ष में दर वृद्धि आसान हो जाएगी।

वसूली

निजी कंपनी मीटर रीडिंग से खपत की गणना कर पानी के बिल जारी करेगी।

***सबको पानी**: समाज के बड़े तबके को पानी उपलब्ध करवाने की यह व्यवस्था आम है।*

मीटर रीडिंग के 10 दिनों के भीतर बिल जारी होंगें जिनका 30 दिनों में भुगतान किया जा सकेगा। अधिक बिल की शिकायत के पहले कंपनी द्वारा जारी बिल भरना जरूरी होगा। नागरिकों से हस्ताक्षरित करवाए जाने वाले व्यक्तिगत अनुबंध में यह प्रावधान किया गया है कि बिल भुगतान में देरी अथवा चूक होने पर कंपनी शिवपुरी जिला कलेक्टर के माध्यम से संबंधित चूककर्ता (डिफाल्टर) की तनख्वाह अथवा अचल संपत्ति से बकाया वसूली कर सकेगी।

कोई प्रतियोगी सुविधा नहीं

खण्डवा के अनुबंध की तरह शिवपुरी के अनुबंध में भी No Parallel Competing Facility यानी 'कोई समानांतर प्रतियोगी सुविधा नहीं' नाम का एक उपबंध शामिल है। इस अनुच्छेद के तहत कंपनी से अनुबंध के बाद नगरनिगम की सीमा में 25 वर्षों तक ऐसी कोई गतिविधि संचालित नहीं की जाएगी जिससे कंपनी के काम (पेयजल प्रदाय) के समानांतर प्रतियोगी गतिविधि संचालित हो सके। इस उपबंध के कारण जन भागीदारी योजना के तहत निर्मित सार्वजनिक ट्यूबवेलों के अतिरिक्त व्यक्तिगत ट्यूबवेल भी प्रभावित होगें।

खण्डवा के अनुबंध के विपरीत यहाँ No Parallel Competing Facility को परिभाषित कर दिया गया है जिसके अनुसार अनुबंधकर्त्ता के अलावा कोई अन्य (नगरपालिका शिवपुरी, मध्यप्रदेश सरकार या ऐसी ही कोई संस्था सहित) अनुबंधकाल में कंपनी की सहमति के बगैर जलप्रदाय का कोई तंत्र विकसित नहीं कर सकता है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस प्रावधान के कारण निजी कंपनी मुनाफा कमाने के लिए सामुदायिक जलस्रोतों, नगरपालिका और सरकार द्वारा संचालित तंत्रों पर प्रतिबंध लगा सकती है। निजी कुओं, ट्यूबवेलों हेण्डपम्पों और तालाबों के उपयोग पर रोक लगा सकती है। कंपनी के हितों विशेषकर मुनाफे को सुरक्षित करने की कीमत पर लोगों की सामाजिक–सांस्कृतिक धरोहरों को दाँव पर लगा दिया गया है।

पानी की कमी और स्थगन काल

यदि कंपनी और नगरपालिका के इंजीनियर यह तय कर दें कि कंपनी को निर्धारित मात्रा में कच्चा पानी नहीं मिल रहा है या नगरपालिका पानी की कमी घोषित कर दे तो वाटर शॉर्टेज (पानी की कमी) काल शुरू हो जाएगा। पानी की कमी के

दौरान या बिजली फेल होने या किसी भी प्रकार से जलप्रदाय बाधित होने पर निजी कंपनी को जलप्रदाय स्थगित रखने की छूट मिल जाती है। इसी प्रकार फिल्टर प्लांट के रखरखाव और जलप्रदाय स्थगन के दौरान कंपनी को अनुबंध की बाध्यताओं और जलप्रदाय करने से छूट मिल जाती है। या निर्धारित से कम मात्रा में जलप्रदाय करने अथवा न करने का भी अधिकार मिल जाता है।

इस अनुबंध में निजी कंपनी के समक्ष खड़ी होने वाली स्थितियों और समस्याओं के मद्देनजर उसकी जिम्मेदारियों का संरक्षण किया गया है। पानी की समस्याएँ हल करने के नाम पर किया गया अनुबंध No Parallel Competing Facility के बाद वाटर शार्टेज पिरियड या जलप्रदाय स्थगन घोषित किए जाने पर नागरिकों के जी का जंजाल बन जाएगा। ऐसी स्थिति में पानी लेने के कोई अन्य स्रोत या तो बचेंगे नहीं या फिर वे उपयोगलायक नहीं रहेंगे। वाटर शार्टेज काल की तरह इलेक्ट्रिसिटी शार्टेज (बिजली की कमी) काल भी घोषित किया जा सकता है।

नल कनेक्शन काटना

दो महीने तक बिल भुगतान में देरी होने पर कंपनी नल कनेक्शन काट सकती है। कनेक्शन काटने और नए कनेक्शन की सूचना हर तीन महीने में तथा डिफाल्टरों की सूची कंपनी द्वारा वर्ष में एक बार नगरपालिका को उपलब्ध करवाएगी। डिफाल्टर उन्हें माना जाएगा जिनके कनेक्शन बिल नहीं भरने के कारण काटे जा चुके हैं तथा साल भर बाद भी जुड़वाए नहीं गए हैं। सूची में डिफाल्टरों की बकाया राशि का भी उल्लेख होगा। नगरपालिका बकाया राशि का आधा हिस्सा कंपनी को भुगतान कर देगी तथा शेष वसूली में कंपनी की मदद करेगी।[6]

नागरिकों से अनुबंध

निजी कंपनी द्वारा संचालित जलप्रदाय योजना हेतु शिवपुरी के नागरिकों को पुनः नए कनेक्शन लेने पड़ेंगे तथा इसके लिए कंपनी के साथ एक व्यक्तिगत अनुबंध करना होगा। 25 कण्डिकाओं वाले इस अनुबंध में नागरिकों को उपभोक्ता कहा गया है। इस अनुबंध की निम्न कण्डिकाएँ उल्लेखनीय है –

3. *बकाया यदि 2 माह या इससे अधिक हुआ तो नगरपालिका को अधिकार होगा कि वह बगैर पूर्व सूचना के मेरा कनेक्शन काट दे। इसके लिए मैं*

स्वयं जिम्मेदार रहूँगा।

4. *.....नगरपालिका शिवपुरी/अनुबंधकर्त्ता कंपनी को अधिकार है कि वह पानी के बिलों की बकाया वसूली शिवपुरी कलेक्टर के माध्यम से मेरे वेतन अथवा अचल संपत्ति द्वारा करवा सकते हैं।*

5. *पानी की कमी, पानी का दबाव, जलप्रदाय की अवधि और जलप्रदाय के समय को लेकर कोई शिकायत नहीं करूँगा।*

6. *तकनीकी कारणों से जलप्रदाय बाधित होने पर शिकायत नहीं करूँगा।*

इस प्रकार शिवपुरी में निजीकृत जलप्रदाय योजना से स्थानीय नागरिकों का कोई भला नहीं होगा क्योंकि इसमें नागरिकों के बजाय निजी कंपनी को फायदा पहुँचाने का हरसंभव प्रयास किया गया है। नगरपालिका ने स्वयं भी जलप्रदाय सेवा के स्तर और जलप्रदाय की जिम्मेदारी से मुँह मोड़ लिया है।

गरीब बस्तियों में सार्वजनिक नल और जलप्रदाय

अनुबंध के अनुसार निजी कंपनी द्वारा संचालन शुरू करने के दिनांक से सारे सार्वजनिक नल बंद कर दिए जाएँगें और सभी को व्यक्तिगत कनेक्शन दिए जायेंगें। व्यक्तिगत कनेक्शन नहीं ले पाने वाले 10 परिवारों के बीच एक समूह कनेक्शन दिया जाएगा। इनमें से किसी एक व्यक्ति को ग्रुप लीडर बनाया जाएगा जो मीटर लगाने, बिल वसूली तथा कंपनी को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा। समूह कनेक्शन में एक ही नल दिया जाएगा तथा समूह में शामिल किसी एक व्यक्ति के परिसर में भूतल में लगाया जाएगा। यदि ग्रुप लीडर कंपनी को भुगतान नहीं करता है तो समूह कनेक्शन काट दिया जाएगा।

सार्वजनिक नल बंद किया जाना शहरी गरीबों, वंचित तबकों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ी जातियों और शहरी प्रवासियों के जल अधिकारों पर विपरीत प्रभाव डालेगा। शहरी गरीबों का एक बड़ा वर्ग है जो व्यक्तिगत कनेक्शन रखने का सामर्थ्य नहीं रखता है। जब अनुबंध लागू होगा तो इन वर्गों के लिए पीने और घरेलू उपयोग का पानी प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा।

शिकायत निवारण तंत्र

अनुबंध के अनुसार पूरे वितरण तंत्र में समान प्रेशर बनाए रखने हेतु सीधे नल में मोटर लगाकर पानी नहीं खींचा जा सकेगा। लगातार कम प्रेशर से जलप्रदाय होने की स्थिति में यदि किसी रहवासी ने मोटर का इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा? इस प्रकार की समस्या के लिए किसी शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार अनुबंध में कहा गया है कि पानी इकट्ठा करने के लिए भूमिगत टंकियाँ बनानी होगी। इन टंकियों में संग्रहित पानी को बाद में मोटर से ऊपर चढ़ाया जाएगा। शहरी तंग बस्तियों और कॉलोनियों में भूमिगत टंकियाँ बनाना संभव नहीं हो पाने की स्थिति में किसी विकल्प का जिक्र नहीं है।

शिवपुरी की यह योजना खण्डवा में निर्माणाधीन योजना की तरह ही है। खण्डवा की निजीकृत जलप्रदाय योजना का स्थानीय निवासियों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान को यह बयान देना पड़ा कि प्रदेश में पानी का निजीकरण नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद नागरिकों की आवाज को अनसुना करते हुए शिवपुरी में भी पानी के निजीकरण को आगे धकेला जा रहा है।

ताजा स्थिति

पिछले करीब एक वर्ष के योजना का काम रूका हुआ है। हालांकि राष्ट्रीय अभ्यारण्य में पाईप लाईन डालने की अनमुति के कारण वहाँ काम बंद है लेकिन इस दौरान कंपनी शहर के अंदर वितरण लाईनों, फिल्टर प्लांट, ओवरहेड टंकियों आदि का काम भी बंद कर रखा है। नवंबर 2014 में कंपनी ने नगरपालिका से लागत वृद्धि बताते हुए काम पुन: शुरू करने के लिए 8 करोड़ रूपए अतिरिक्त माँगें है। अगस्त 2011 में पूरी होने वाली यह योजना कब पूरी होगी, यह कोई नहीं जानता है।

❑

टिप्पणियाँ

1. निजीकृत जलप्रदाय योजना का टेण्डर (No.-UIDSSMT/WS/117/08 दिनांक 17 फरवरी 2009) और प्रि–बिड मीटिंग के बाद का संशोधन दिनांक 12 मई 2009
2. केन्दीय शहरी विकास मंत्रालय के अधीन गठित केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय

अभियांत्रिकी संगठन (Central Public Health and Environmental Engineering Organisation) की जलप्रदाय एवं जल शुद्धिकरण पर 797 पृष्ठों की एक वृहत मार्गदर्शिका है। देशभर में बनाई जाने वाली योजनाओं के लिए इसी मार्गदर्शिका का आधार लिया जाता है।

3. Corrigendum subsequent to pre-bid meeting dated 12 May 2009 में अनुबंध की कण्डिका D-4, page-135, Vol-II में किया गया संशोधन।

4. कंपनी के साथ अनुबंध की कंडिका 9.1.6 (viii)

5. नगरपालिका की साधारण सभा दिनांक 29 नवंबर 2001 के जल दरें बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव में उल्लेख है कि जलप्रदाय व्यवस्था का विद्युत खर्च 8.5 लाख रूपए मासिक तथा शुद्धिकरण, मरम्मत आदि का खर्च 4 लाख रूपए मासिक होता है। जबकि वसूली 4.05 लाख मासिक ही होती है।

6. राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी में चर्चा के बाद टेण्डर दस्तावेज में किए गए बदलाव।

संलग्नक - 1

म.प्र. में UIDSSMT के तहत स्वीकृत जलक्षेत्र की योजनाएँ

क्र.	नगर	योजना	लागत	केन्द्रीय अनुदान	
				स्वीकृत	जारी
1	आष्टा	जलप्रदाय	980.40	784.32	784.32
2	आगर	जलप्रदाय	1005.80	804.64	402.32
3	अमरवाड़ा	जलप्रदाय	1609.30	1287.44	643.72
4	अमरवाड़ा	ठो. अ. प्रबंधन	128.80	103.04	51.52
5	अनूपपुर	जलप्रदाय	1521.22	1216.98	608.49
6	बैकुण्ठपुर	जलप्रदाय	732.75	586.20	393.10
7	बरकुही	जलप्रदाय	1211.82	969.46	484.73
8	बेगमगंज	जलप्रदाय	1392.22	1113.78	556.89
9	बैतूल	जलप्रदाय	3262.07	2609.66	1304.83
10	ब्यावरा	जलप्रदाय	709.47	567.58	567.58
11	बीना	जलप्रदाय	3875.50	3100.40	1550.20
12	बुदनी	जलप्रदाय	194.60	155.68	155.86
13	बुदनी	जलप्रदाय, जलनिकास	195.05	156.04	77.84
14	चांदामेटा	जलप्रदाय	1432.20	1145.76	572.88
15	छतरपुर	जलप्रदाय	1593.80	1275.04	1275.04
16	छिंदवाड़ा	जलप्रदाय	5732.87	4586.30	2293.15
17	चित्रकूट	जलप्रदाय	1319.68	1055.74	527.87
18	चौरई	जलप्रदाय	886.38	709.10	354.55
19	डबरा	जलप्रदाय (स्रोत आवर्धन)	1112.10	889.68	889.68
20	डबरा	जलप्रदाय	1441.84	1153.47	1153.46
21	दमोह	जल वितरण	130.70		104.13
22	दमोह	जल आवर्धन	874.20	699.36	699.36
23	दमुआ	जलप्रदाय	1479.19	1183.35	591.68
24	देवास	जलप्रदाय	3975.00	3180.00	1590.00
25	डोंगरपरासिया	जलप्रदाय	3013.33	2410.66	1205.33

*अनुदान राशि लाख रूपए में

26	गढ़ाकोटा	जलप्रदाय		1174.26	587.13
27	गुना	जलप्रदाय	7140.42	5712.34	2856.17
28	हरदा	जलप्रदाय	1787.00	1388.00	673.20
29	हर्रई	जलप्रदाय	873.87	699.10	349.55
30	हिण्डोरिया	जलप्रदाय	1138.34	910.67	455.34
31	होशंगाबाद	जलप्रदाय	1615.26	1292.21	646.11
32	इटारसी	जलप्रदाय	1467.83	1174.26	1457.635
33	जावरा	जलप्रदाय	883.00	580.40	648.10
34	जीरन	जलप्रदाय	549.92	439.94	219.57
35	जुन्नारदेव	जलप्रदाय	2432.07	1945.66	972.83
36	करेली	जलप्रदाय	3550.77	2840.62	1420.31
37	कटनी	जलप्रदाय	4080.95	3284.76	1632.38
38	खण्डा	जलप्रदाय	10672.30	8537.84	8537.84
39	खिरकिया	जलप्रदाय	1225.70	980.56	490.28
40	खुरई	जलप्रदाय	3662.82	2930.26	1465.13
41	लोधीखेड़ा	जलप्रदाय	611.76	489.41	244.70
42	महिदपुर	जलप्रदाय	1683.75	1347.00	673.50
43	मलाजखण्ड	जलप्रदाय, निकास		442.42	442.42
44	मल्हारगढ़	जलप्रदाय	548.92	439.14	219.57
45	मनावर	जलप्रदाय	1125.60	900.48	450.24
46	मण्डलेश्वर	जलप्रदाय	799.29	639.43	319.72
47	मंदसौर	जलप्रदाय	1552.45	1241.88	1241.96
48	मोहगाँव	जलप्रदाय	848.87	679.10	339.00
49	मुलताई	जलप्रदाय	1929.60	1543.68	771.84
50	नसरूल्लागंज	जलप्रदाय	488.96	391.17	195.58
51	न्यूटन चिकली	जलप्रदाय	1055.90	844.72	422.36
52	पाण्ढुर्णा	जलप्रदाय	6443.79	5155.03	2577.52
53	पन्ना	जलप्रदाय	1808.37	1446.70	1446.70
54	पिपरिया	जलप्रदाय	2408.11	1926.49	963.25
55	पिपला नारायणवार	जलप्रदाय	81.20	64.96	32.48

56	पिपलिया मण्डी	जलप्रदाय	968.72	774.98	387.49
57	पोरसा	ठो॰ अ॰ प्रबंधन	236.47	189.18	94.59
58	राजगढ़	जलप्रदाय	1907.76	1526.21	763.11
59	रामपुरा	जलप्रदाय	1956.37	1565.10	782.55
60	रतलाम	जलप्रदाय	3265.10	2612.08	2612.08
61	रेहली (सागर)	जलप्रदाय		482.00	482.00
62	रेहली (सागर)	जलनिकास		114.78	57.39
63	रेहटी (सीहोर)	जलप्रदाय		319.17	195.58
64	रेहटी (सीहोर)	जलप्रदाय	276.48	221.18	110.59
65	रीवा	जलप्रदाय	1427.87	1142.30	1142.30
66	सनावद	जलप्रदाय	729.68	583.74	583.74
67	सतना	जलप्रदाय	8087.57	6470.06	3235.03
68	सौंसर	जलप्रदाय	1930.22	1544.18	772.09
69	सीहोर	जलप्रदाय	1454.52	1163.62	1163.62
70	सिवनी	जलप्रदाय	4735.80	3788.64	1894.32
71	शाहगंज	जलप्रदाय	436.45	346.16	174.58
72	शाजापुर	जलप्रदाय	996.00	796.80	398.40
73	शाजापुर	जलप्रदाय			642.52
74	शामगढ़	जलप्रदाय	2374.00	1899.20	949.60
75	शमशाबाद	जलप्रदाय	882.47	705.98	352.99
76	शिवपुरी	जलप्रदाय	5864.86	4771.73	4771.72
77	शिवपुरी	ठो॰ अ॰ प्रबंधन	649.76	519.81	259.91
78	शुजालपुर	जलप्रदाय	1745.32	1396.26	698.13
79	सीधी	जलप्रदाय	2118.55	1694.84	847.42
80	सिरोंज	जलप्रदाय		249.18	249.18
81	सुवासरा	जलप्रदाय	1764.30	1411.44	705.72
82	तेंदूखेड़ा	जलप्रदाय	1028.64	822.91	411.46
83	टीकमगढ़	जलप्रदाय	983.18	786.54	786.54
84	विदिशा	जलप्रदाय		174.40	87.20
85	विदिशा	जलप्रदाय	1557.52	1246.02	623.01
86	वारा सिवनी	जलप्रदाय	2232.00	1785.60	892.80

मुख्यमंत्री शहरी जलप्रदाय योजना के तहत मध्यप्रदेश में स्वीकृत योजानएँ

क्र॰	निकाय	जनसंख्या का नाम	लागत (करोड़ रू॰)	अनुदान 20/30%	कर्ज 80/70%
1	तरीचरकलां	7,683	3.50	1.05	2.45
2	टोंकखुर्द	8,000	4.50	1.35	3.15
3	नामली	9,756	3.81	1.14	2.67
4	सुलतानपुर	10,200	5.78	1.73	4.05
5	करनावद	10,982	4.61	1.38	3.23
6	भौंरासा	12,166	5.56	1.67	3.89
7	पंधाना	12,419	5.88	1.76	4.12
8	मूँदी	12,891	4.80	1.44	3.36
9	ताल	13,073	4.01	1.20	2.81
10	सुवासरा	13,299	5.98	1.79	4.19
11	खलियाधाना	14,000	5.66	1.70	3.96
12	उन्हेल	14,285	11.16	3.35	7.81
13	भीकनगाँव	16,215	7.29	2.19	5.10
14	बाबई	17,000	65.00	19.50	45.50
15	गुढ़ (रीवा)	17,047	7.90	2.37	5.53
16	खिलचीपुर	18,932	8.51	2.55	5.96
17	राजगढ़ (धार)	20,657	9.29	2.79	6.50
18	टिमरनी	23,165	10.42	3.13	7.29
19	निवाड़ी	23,456	5.30	1.59	3.71
20	नौरोजाबाद	24,000	13.64	4.09	9.55
21	कुक्षी (धार)	28,345	12.75	3.83	8.93
22	बदनावर	30,000	9.50	2.85	6.65

23	अशोक नगर	32,000	14.40	4.32	10.08
24	झाबुआ	35,000	13.76	4.13	9.63
25	बड़नगर	36,188	16.28	4.88	11.40
26	रायसेन	44,161	33.20	9.96	23.24
27	मंडला	49,471	18.29	5.49	12.80
28	बड़वानी	55,510	19.90	3.98	15.92
29	नरसिंहपुर	59,987	17.68	3.54	14.14
30	मण्डीदीप	69,677	18.25	3.65	14.60
31	गंजबासौदा	78,290	35.23	7.05	28.18
32	बालाघाट	84,230	8.28	1.66	6.62
33	धार	92,218	22.00	4.40	17.60
34	शहडोल	93,615	43.75	8.75	35.00
35	नीमच	107,663	27.00	5.40	21.60
36	रीवा	235,422	22.00	4.40	17.60

मंथन अध्ययन केन्द्र

संसाधनों के उपयोग एवं विकास संबंधी गतिविधियों ने सामाजिक न्याय, समानता, पर्यावरण सुरक्षा, मानवाधिकार आदि मुद्दों पर उग्र बहस एवं तीव्र संघर्ष खड़े किए हैं। इससे मौजूदा विकास के मॉडल की उपयोगिता पर गंभीर चिन्ताएँ पैदा हुई है। पिछले वर्षो में वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक एवं वित्तीय ढाँचों में बड़े पैमाने पर किये गये बदलावों ने इन चिन्ताओं को और भी प्रासंगिक बनाया है।

जो लोग सार्वजनिक नीतियों से जुड़े कार्य कर रहे हैं उन्हें इन बदलावों को समानता, मानवाधिकार, पर्यावरण आदि की चिन्ताओं के साथ पूरी तरह समझने की आवश्यकता है। लेकिन अभी तक अधिकांश जानकारियों के स्त्रोत एवं उनकी विश्लेश्णात्मक क्षमता सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों या निजी संगठनों के पास ही है। जनहित के लिये प्रतिबद्ध ऐसे स्वतंत्र संगठन बेहद जरूरी है जो उच्च गुणवत्तापूर्ण शोध एवं विश्लेषण कर सके। **मंथन** की स्थापना इसी जरूरत को पूरा करने का एक प्रयास है।

भाखड़ा–नंगल बाँध का विस्तृत मूल्यांकन, विश्व बैंक के ज्ञानदाता की भूमिका का विश्लेषण और जन–निजी भागीदारी के प्रभावों का अध्ययन आदि अभी तक के हमारे प्रमुख कार्य है। साथ ही जल क्षेत्र में व्यावसायीकरण व निजीकरण संबंधी पड़ताल भी सतत जारी है।